[2018] 11 एस. सी. आर. 329

राजदिप घोष

वी.

असम राज्य और ओ. आर. एस.

(2018 की रिट याचिका (सी) संख्या 766)

अगस्त 17,2018

[अरुण मिश्रा और एस. अब्दुल नजीर, जे. जे.]

असम के मेडिकल कॉलेज और डेंटल कॉलेज (विनियम)

आर. 3 (1) (ग)-राज्य कोटा सीटों के लिए पात्रता - आर. 3 (1) (सी) राज्य में सातवीं से बारहवीं कक्षा तक शिक्षा प्राप्त करने की शर्त निर्धारित करना। असम की-आर की वैधता। 3 (1) (ग) संविधान के Art.14 की कसौटी पर-क्या वह वर्गीकरण जिसमें किया गया है

आर. 3 (1) (ग) अनुचित है और कला में निहित प्रावधानों का उल्लंघन करता है। 14 संविधान और उत्तीर्ण या प्राप्त करने वाले छात्र

अन्य राज्यों में शिक्षा को राज्य कोटे की सीटों के लिए निर्धारित पात्रता मानदंडों से अवैध रूप से हटा दिया गया है-आयोजित: राज्य के निवासियों के लिए वरीयता को किसी भी तरह से मनमानेपन से पीड़ित दुर्बोध मानदंड नहीं कहा जा सकता है।

आर. 3 (1) (ग) असम सरकार द्वारा तैयार किया गया है

बोधगम्य भेद और इसे भेदभावपूर्ण और कला का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता है। 14 - किसी विशेष राज्य में आवश्यक शैक्षिक आवश्यकताओं, आवासीय/अधिवास को निर्धारित करने की अनुमति है।

एमबीबीएस/बीडीएस/आयुर्वेदिक के बुनियादी पाठ्यक्रमों के संबंध में-इस प्रकार, आर. 3 (1) (सी) ये नियम भारतीय संविधान के Art.14 की भावना के अनुरूप हैं। 14 - शिक्षा

-

प्रवेश।

याचिकाओं को खारिज करते हुए, न्यायालय ने

पकड़ना: 1. इस न्यायालय ने विभिन्न निर्णयों में कहा है कि यह

एमबीबीएस/बीडीएस/आयुर्वेदिक के बुनियादी पाठ्यक्रमों के संबंध में किसी विशेष राज्य में आवश्यक शैक्षिक आवश्यकताओं, आवासीय/अधिवास को निर्धारित करने की अनुमति है। जिस उद्देश्य को प्राप्त करने की मांग की गई है, वह यह है कि पदधारी को संबंधित राज्य की सेवा करनी चाहिए और किसी विशेष राज्य में रहने वाले लोगों के शैक्षिक मानकों की मुक्ति के लिए, इस न्यायालय द्वारा राज्य के निवासियों के लिए इस तरह के आरक्षण को बरकरार रखा गया है और राज्य के निवासियों के लिए इस तरह के आरक्षण को बरकरार रखा गया है।

किसी राज्य में शिक्षा प्राप्त करने की शर्त। स्नातकोत्तर और पद के संबंध में एकमात्र अंतर किया गया है।

2. असम के मेडिकल कॉलेजों और डेंटल कॉलेजों के नियम 3 (1) (सी) (प्रथम वर्ष एमबीबीएस/बीडीएस में प्रवेश के नियम) पाठ्यक्रम) नियम, 2017 राज्य में शिक्षा प्राप्त करने की आवश्यकता को निर्धारित करता है और राज्य सरकार के कर्मचारियों या केंद्र सरकार के बच्चों को छूट दी गई है।

कर्मचारी या असम सरकार या केंद्र सरकार के तहत निगम/एजेंसी/उपकरण के एक कर्मचारी, चाहे प्रतिनियुक्ति पर हो या नियमित पोस्टिंग पर स्थानांतरण पर, उसके पिता या माँ उस अवधि के लिए सातवीं से बारहवीं कक्षा तक शिक्षा प्राप्त करने के लिए राज्य के बाहर काम कर रहे हों। जैसा कि याचिकाकर्ताओं की ओर से अन्य राज्य सरकार के कर्मचारियों से आग्रह किया गया था, लेकिन असम के निवासियों को इसी तरह की छूट दी जानी चाहिए थी, जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार, उनके बहिष्कार को तर्कहीन और मनमाना नहीं कहा जा सकता है। अरुणाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों जैसे अन्य राज्यों की सेवा में कार्यरत कर्मचारियों के बच्चे एक पूरी तरह से अलग वर्ग बनाते हैं। जब बच्चे बाहर शिक्षा प्राप्त कर रहे हों और माता-पिता अरुणाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारी के रूप में या कहीं और काम कर रहे हों, तो उनके असम राज्य में वापस आने की संभावना नहीं है। जैसा कि असम सरकार का मानना है कि उन्हें राज्य के निवासियों को वरीयता प्रदान करनी चाहिए/संस्थागत वरीयता को किसी भी मामले में मनमानेपन से पीड़ित दुर्बोध मानदंड नहीं कहा जा सकता है।

इस प्रकार, असम सरकार द्वारा बनाया गया नियम 3 (1) (सी) एक बोधगम्य अंतर पर आधारित है और ऐसा नहीं कहा जा सकता है

भेदभावपूर्ण और अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करना। [पैरा 33] [362-सी-एफ]

3. निजी कर्मचारियों के संबंध में भी,

यह दलील दी गई कि निजी कर्मचारियों के बच्चे काम कर रहे हैं राज्य के बाहर राज्य सरकार/केंद्र सरकार के कर्मचारियों आदि के बच्चों के समान ही रखा जाना चाहिए था। जब एक बार माता-पिता घर से बाहर चले गए हों।

निजी रोजगार और बाहर शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चों के वापस आने की संभावना नहीं है, इसलिए, पूर्व में बताए गए आधार पर उनके बहिष्कार को तर्कहीन या अवैध नहीं कहा जा सकता है। [पैरा 34]

4. यह आग्रह किया गया कि कुछ छात्र बेहतर कोचिंग के उद्देश्य से अन्य राज्यों में प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं। याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रासंगिक आंकड़े रिकॉर्ड पर नहीं रखे गए हैं कि असम में कोचिंग उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा, जब वे अन्य राज्यों में कोचिंग प्राप्त करने का खर्च उठा सकते हैं, तो वे एक अलग आधार पर खड़े होते हैं, वे एक ऐसे समृद्ध वर्ग से हैं जो अन्य राज्यों में महंगी शिक्षा का खर्च उठा सकते हैं और यह आवश्यक नहीं है कि उन्हें राज्य कोटा सीट में समायोजित किया जाए, वे असम राज्य के लिए अखिल भारतीय कोटा सीटों के लिए दावा कर सकते हैं। वे असम राज्य के भीतर खुली सीटों के संबंध में अपना दावा कर सकते हैं। बहिष्करण उनके लिए कुल नहीं है। हालांकि, राज्य के संबंध में-कोटा सीटें, क्योंकि यह राज्य सरकार के लिए शैक्षिक के साथ-साथ अधिवास निर्धारित करने के लिए खुला है

आवश्यकता, पदधारियों को मानदंडों को पूरा करना चाहिए। मानदंड इस प्रकार हैं

2017 के नियमों के नियम 3 (1) (सी) में निर्धारित, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं कहा जा सकता है। 2017 के नियमों का नियम 3 (1) (सी) भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 की भावना के अनुरूप है। [पैरा 35,36] [363-ए-डी]

डॉ. प्रदीप जैन और अन्य। वी. भारत संघ और अन्य। (1984) 3 एससीसी 654: [1984] 3 एस. सी. आर. 942; अनंत मदान बनाम। हरियाणा राज्य और अन्य। (1995) 2 एससीसी 135

पर भरोसा किया।

डॉ. जगदीश सरन और अन्य। वी. भारत संघ (1980) 2 एससीसी 768 [1980] 2 एससीआर 831; डी. पी. जोशी बनाम की स्थिति

मध्य भारत और अन्र। , आकाशवाणी 1955 एस. सी. 334:

[1955] एस. सी. आर. 1215; कुमारी एन. वसुंधरा बनाम। मैसूर और अन्र राज्य। (1971) 2 एस. सी. सी. 22; डॉ. जगदीश सरन और अन्य। वी. भारत संघ (1980) 2 एससीसी 768: [1980] 2 एस. सी. आर. 831; सौरभ चौधरी और अन्य। वी. भारत संघ और अन्य। (2003) 11 एस. सी. सी. 146: [2003] 5 पूरक। एस. सी. आर. 152; निखिल हिम्मतानी बनाम। उत्तराखंड राज्य और

ओआरएस। (2013) 10 एससीसी 237: [2013] 14 एस. सी. आर. 23; विशाल गोयल और अन्य। वी. कर्नाटक राज्य और अन्य। (2014) 11 एस. सी. सी. 456; मगन मेहरोत्रा बनाम। भारत संघ

(2003) 11 एस. सी. सी. 186; डॉ. कृति लखिना और अन्य। वी. राज्य

कर्नाटक और अन्य। [2018] 3 एससीआर 517; ई. वी.

चिन्नायाह वी। ए. पी. और अन्य का राज्य। (2005) 1 एससीसी 394: [2004] 5 पूरक। एस. सी. आर. 972; दीपक सिब्बल बनाम। पंजाब विश्वविद्यालय और अन्र. (1989) 2 एस. सी. सी. 145-संदर्भित।

[2018] 11 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

मामला कानून संदर्भ

[1980] 2 एससीआर 831

संदर्भित किया गया है

पैरा 5

[1955] एससीआर 1215

संदर्भित किया गया है

पैरा 17

(1971) 2 एससीसी 22

संदर्भित किया गया है

पैरा 18

[1984] 3 एससीआर 942

उस पर भरोसा करें

पैरा 19

(1995) 2 एससीसी 135

उस पर भरोसा करें

पैरा 20

[1980] 2 एससीआर 831

संदर्भित किया गया है

पै

रा 21

[2003] 5 पूरक। एस. सी. आर. 152 संदर्भित

पै

रा 23

[2013] 14 एससीआर 23

संदर्भित किया गया है

पै

रा 25

(2014) 11 एससीसी 456

पै

रा 27

संदर्भित किया गया है

(2003) 11 एस. सी. सी 186

पै

रा 27

संदर्भित किया गया है

[2004] 5 पूरक। एस. सी. आर. 972 को संदर्भित किया गया

पै

रा 30

(1989) 2 एससीसी 145

संदर्भित किया गया है

पै

रा 31

[2018 [3 एससीआर 517

पै

रा 29

संदर्भित किया गया है

नागरिक मूल/अपीलीय न्यायनिर्णय: लिखें।

2018 की याचिका (सिविल) संख्या 766।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत

के साथ

2018 की लिखित याचिका (सिविल) Nos.795,831,768 और 763,

2018 की विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 16200, रिट याचिका (सिविल) संख्या। 758 , 771 , 767 , 759 , 765 , 760 , 776 , 781 , 780,813,835 800 , 812 और 2018 का 821।

श्री मनिंदर सिंह, ए. एस. जी., नलिन कोहली, अधिवक्ता। (एएजी), वी. गिरि, कमल

नयन चौधरी, सुश्री विभा दत्ता मखीजा, Sr.Advs। मनीष गोस्वामी (श्री रामेश्वर प्रसाद गोयल), पार्थिव के. गोस्वामी, सुश्री पलक महाजन, राहुल प्रताप, अमित पवन, अभिषेक अमृतांशु, आनंद नंदा, अक्षत श्रीवास्तव, हसन जुबैर वारिस, रोहित राजेरशी, अजीम एच. लस्कर, सचिन दास, राजीव नारायण, चंद्र भूषण प्रसाद, इंद्रजीत सिंह, शुभदीप रॉय, प्रभास बजाज, अंकित रॉय, सयोज मोहनदास, सुश्री निमिषा मेनन, सुश्री कनिका सरन, संजय कुमार पाठक,

सुश्री स्निधा मेहरा, देबोजीत बोरकाकाटी, एम. बालाशिवुडू, गौरव शर्मा, तारा चंद्र शर्मा, सुश्री नीलम शर्मा, सुश्री पंखुड़ी श्रीवास्तव, राजीव शर्मा, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

राजदिप घोष बनाम। असम राज्य और ओ. आर. एस.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

अरुण मिश्रा, जे. 1. असम के मेडिकल कॉलेजों और डेंटल कॉलेजों (प्रथम वर्ष एमबीबीएस/बीडीएस पाठ्यक्रमों में प्रवेश के नियम) के नियम 3 (1) (सी) की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाते हुए भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिकाओं को प्राथमिकता दी गई है। नियम, 2017 (संक्षेप में '2017 के नियम' के रूप में संदर्भित)। याचिकाकर्ता इस मामले के साथ आए हैं कि हालांकि राज्य प्रवेश के मामले में वरीयता प्रदान कर सकता है, हालांकि, ऐसा वर्गीकरण वस्तुनिष्ठ मानदंडों पर आधारित होना चाहिए और उस उद्देश्य के साथ एक तर्कसंगत संबंध होना चाहिए जिसे वह प्राप्त करना चाहता है।

2. 2017 के नियमों के नियम 3 में राज्य कोटा सीटों के लिए पात्रता प्रदान की गई है। उसी को यहाँ नीचे निकाला गया है:

" नियम 3-राज्य कोटा सीटों के लिए पात्रता:

निम्नलिखित शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए:

1. (क) उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिए।

(b) उम्मीदवार को असम का स्थायी नागरिक होना चाहिए। पिता/माता या उम्मीदवार को कम से कम 20 वर्षों की अवधि के लिए लगातार असम राज्य में रहना चाहिए। (द. यदि किसी उम्मीदवार को बुलाया जाता है तो इन नियमों की अनुसूची-I में आवेदन पत्र में अनुलग्नक-I में प्रमाण पत्र जमा किया जाना चाहिए।

परामर्श):
बशर्ते कि यह असम को आवंटित अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के बेटों/बेटियों पर लागू नहीं होगा (प्रमाण पत्र)

उम्मीदवार के पिता/माता की सेवा के संबंध में

असम सरकार के संबंधित प्राधिकारी/विभाग को

यदि किसी उम्मीदवार को परामर्श के लिए बुलाया जाता है तो प्रस्तुत किया जाना चाहिए। (ग) उम्मीदवार को असम राज्य में सातवीं से बारहवीं तक की सभी कक्षाओं में अध्ययन करना चाहिए और असम राज्य में स्थित किसी भी संस्थान से योग्यता परीक्षा या इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करनी चाहिए। (इन नियमों की अनुसूची-I में आवेदन पत्र में अनुलग्नक-II में प्रमाण पत्र जमा किया जाना चाहिए यदि कोई उम्मीदवार

परामर्श के लिए बुलाया।)

बशर्ते कि यदि कोई उम्मीदवार सातवीं कक्षा से असम के बाहर पढ़ता है क्योंकि उसके पिता/माता असम राज्य सरकार के कर्मचारी के रूप में या केंद्रीय [2018] 11 एस. सी. आर. के रूप में असम के बाहर तैनात हैं।

तब उस अवधि के लिए जिसके लिए उक्त पिता/माता राज्य के बाहर काम कर रहे हैं, ऐसे उम्मीदवार के लिए छूट होगी। (यदि किसी उम्मीदवार को परामर्श के लिए बुलाया जाता है तो संबंधित प्राधिकारी से सेवा की अवधि का संकेत देने वाले राज्य के बाहर पिता/माता के रोजगार का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए।)
(घ) उम्मीदवार की आयु उस वर्ष के 31 दिसंबर को 17 वर्ष से कम और 25 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए जिसमें

प्रवेश के लिए अनुरोध किया जाता है:

बशर्ते कि एससी/एसटी (पी)/एसटी (एच)/ओ. बी. सी./एम. ओ. बी. सी. से संबंधित उम्मीदवारों के मामले में अधिकतम आयु सीमा में 3 साल की छूट हो। श्रेणी "।

असम राज्य में बारहवीं और असम राज्य में स्थित किसी भी संस्थान से योग्यता परीक्षा या इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। पिता या माता को असम राज्य सरकार के कर्मचारी या केंद्र सरकार के कर्मचारी के रूप में या असम सरकार या केंद्र सरकार के तहत किसी निगम/एजेंसी/उपकरण के कर्मचारी के रूप में असम के बाहर तैनात किए जाने के मामले में अपवाद बनाया गया है। 4. याचिकाकर्ताओं का कहना है कि उन्होंने बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण नहीं की है। कुछ याचिकाकर्ताओं ने ग्यारहवीं और बारहवीं दोनों कक्षाएं उत्तीर्ण नहीं की हैं। वे असम राज्य के निवासी हैं। उनका दावा है कि उन्होंने असम में पर्याप्त समय तक पढ़ाई की है। हालाँकि, वे 2017 के नियमों के नियम 3 (1) (सी) के तहत निर्धारित उपरोक्त मानदंडों के अनुसार पात्र नहीं हैं।

5. याचिकाकर्ताओं ने आग्रह किया है कि किया गया वर्गीकरण अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। यह पता लगाने के लिए कोई विशेषज्ञ अध्ययन नहीं किया गया है कि

असम राज्य के बाहर सातवीं से बारहवीं कक्षा तक अध्ययन करने वाले उम्मीदवारों के एमबीबीएस की डिग्री प्राप्त करने के बाद राज्य की सेवा नहीं करने की संभावना है। इस तरह के अध्ययन और सामग्री के संग्रह के अभाव में, कार्रवाई अस्थिर है और डॉ. जगदीश सरन और अन्य में निर्धारित कानून के अनुसार नहीं है। वी. भारत संघ (1980) 2 एस. सी. सी. 768।

राजदिप घोष बनाम। असम राज्य और ओ. आर. एस. [अरुण मिश्रा, जे।]

चूंकि याचिकाकर्ता के माता-पिता राज्य के स्थायी निवासी हैं

असम और पात्रता की अन्य शर्तों को पूरा करना, राज्य-कोटा सीटों को केवल इस आधार पर अस्वीकार करना कि उन्होंने असम राज्य के बाहर से अपनी कक्षा XI और XII पूरी की है, स्पष्ट रूप से तर्कहीन, अनुचित और मनमाना है। राज्य सरकार एम. बी. बी. एस. पाठ्यक्रम पूरा करने पर 5 साल की अवधि के लिए राज्य की सेवा करने या एक साल की ग्रामीण सेवा प्रदान करने के लिए एक अनुबंध प्राप्त करती है और उल्लंघन की स्थिति में मुआवजे के रूप में सरकार को Rs.30 लाख की राशि का भुगतान करती है। जबकि एक छात्र को एम. बी. बी. एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया जाता है जो यह सुनिश्चित करेगा कि पदधारी

एम. बी. बी. एस. उत्तीर्ण करने के बाद बांड में दिए गए प्रावधान के अनुसार राज्य की सेवा करें। 2017 के नियमों के नियम 15 में निहित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, राज्य में शैक्षणिक संस्थानों में अध्ययन की आवश्यकता, जैसा कि नियम 3 (1) (सी) में प्रदान किया गया है, को निर्देशिका के रूप में माना जाना चाहिए और अनिवार्य नहीं। वर्गीकरण

बनाया गया एक शत्रुतापूर्ण है और किसी भी समझदार अंतर पर आधारित नहीं है। यदि कोई माता-पिता अन्य राज्य सरकार में कार्यरत हैं और

6. याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा बनाए गए प्रवेश नियमों में समय-समय पर बदलाव किए गए हैं। में। 2007 के नियम, नियम 3 (2) (सी) में असम में (i) एच. एस. एल. सी. या (ii) एच. एस. एल. सी. और एच. एस. एस. एल. सी. चरणों में 4 साल की स्कूली शिक्षा का प्रावधान किया गया है।

योग्यता परीक्षा में उपस्थित होने के लिए पात्रता की शर्त। हालांकि, उक्त नियम के प्रावधान में उपरोक्त शर्त में ढील दी गई है, यदि उम्मीदवार के पिता या मां ने एचएसएलसी स्तर पर कम से कम 4 साल के लिए राज्य में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की है।

7. 2015 के नियमों के नियम 3 (1) में निम्नलिखित पात्रता प्रदान की गई है:

शर्तें:

(क) उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिए।

(ख)

(ग) उम्मीदवार को असम का स्थायी निवासी होना चाहिए। उम्मीदवार या उसके पिता/माता का निवास स्थान होना चाहिए।

असम राज्य लगातार कम से कम 20 वर्षों तक रहा। (अनुलग्नक-I में मूल पी. आर. सी. प्रमाणपत्र

इन नियमों की अनुसूची-I पर आवेदन पत्र बी होना चाहिए

प्रस्तुत किया जाता है यदि किसी उम्मीदवार को परामर्श के लिए बुलाया जाता है):

बशर्ते कि यह असम को आवंटित अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के बेटों/बेटियों पर लागू नहीं होगा (यदि किसी उम्मीदवार को परामर्श के लिए बुलाया जाता है तो असम सरकार के संबंधित प्राधिकरण/विभाग से उम्मीदवार के पिता/मां की सेवा के संबंध में प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए।)

1) अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के बेटों/बेटियों सहित उम्मीदवार को असम राज्य में सातवीं से बारहवीं तक की सभी कक्षाओं में पढ़ना चाहिए और असम राज्य में स्थित संस्थानों से योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण करनी चाहिए। (यदि किसी उम्मीदवार को परामर्श के लिए बुलाया जाता है तो इन नियमों की अनुसूची-I में आवेदन पत्र बी में अनुलग्नक-II में प्रमाण पत्र जमा किया जाना चाहिए।)

बशर्ते कि यदि कोई उम्मीदवार कक्षा-VII से असम के बाहर पढ़ता है क्योंकि उसके पिता/माता असम के बाहर प्रतिनियुक्ति पर राज्य सरकार के कर्मचारी के रूप में तैनात हैं या

स्थानांतरण या नियमित नियुक्ति तब उस अवधि के लिए जिसके लिए पिता/माता राज्य के बाहर काम कर रहे हैं, ऐसे उम्मीदवार के लिए छूट होगी। (राज्य के बाहर पिता/माता के रोजगार का प्रमाण पत्र जो सेवा की अवधि को दर्शाता है, प्रस्तुत किया जाना चाहिए यदि -

उम्मीदवार को परामर्श के लिए बुलाया जाता है)। "

2016 में नियम 3 (1) (सी) में निम्नलिखित संशोधन किया गया था:

(ग) अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के बेटों/बेटियों सहित उम्मीदवार को असम राज्य में छठी से दसवीं कक्षा तक सभी कक्षाओं में पढ़ना चाहिए और उसे असम राज्य में स्थित किसी भी संस्थान से सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड/परिषद द्वारा आयोजित एचएसएलसी या इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करनी चाहिए।

अनुसूची-इन नियमों में से एक को प्रस्तुत किया जाना चाहिए यदि कोई उम्मीदवार

परामर्श के लिए बुलाया गया) "।

3. याचिकाकर्ताओं ने आगे कहा है कि 2016 में संशोधित नियम 3 (1) (सी) पर गुवाहाटी उच्च न्यायालय के समक्ष सवाल उठाया गया था और इसे रद्द कर दिया गया था। इसे तर्कहीन और भारत के संविधान की धारा 14 का उल्लंघन करने वाला घोषित किया गया था। समीक्षा याचिका भी दायर की गई थी जिसे खारिज कर दिया गया था। इसके बाद, नियम 3 (1) (सी) में अध्ययन के उपरोक्त मानदंडों को ध्यान में रखते हुए 2017 के नियम बनाए गए हैं। फरवरी में डेंटल कॉलेजों और आयुर्वेदिक कॉलेजों सहित मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए अखिल भारतीय आधार पर जे. ई. ई. टी. परीक्षा आयोजित की गई थी।

9. डब्ल्यू. पी. में असम राज्य द्वारा दायर जवाबी हलफनामे में [सी] No.758/2018, यह तर्क दिया गया था कि 2007 के नियमों की आवश्यकता 4 असम राज्य में 6 वीं से 12 वीं कक्षा के बीच स्कूली शिक्षा के वर्ष आवश्यक थे। पिछड़ेपन के स्तर, अपर्याप्त विकास, दूरदराज के क्षेत्रों सहित पूरे असम राज्य में सेवाएं प्रदान करने के लिए पर्याप्त संख्या में डॉक्टरों की कमी को ध्यान में रखते हुए, यह सुनिश्चित करना सर्वोत्कृष्ट माना गया कि सरकारी मेडिकल कॉलेजों में मेडिकल एमबीबीएस पाठ्यक्रमों में प्रवेश राज्य से संबंधित असम के प्रामाणिक उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध हो। वर्ष 2015 में नियमों में संशोधन किया गया था और 6 साल की स्कूली शिक्षा की आवश्यकता थी।

इसे असम राज्य में 7 वीं से 12 वीं कक्षा के बीच शुरू किया गया था। अन्य दो आवश्यकताएँ थीं कि उम्मीदवार को असम राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए और उम्मीदवार या उसके पिता/माता को न्यूनतम 20 वर्षों की अवधि के लिए लगातार असम राज्य में रहना चाहिए। इस संशोधन को अधिसूचित किया गया था। यह सभी संबंधित लोगों को पता था कि असम राज्य के स्कूलों में अध्ययन करने की आवश्यकता है। इस प्रकार, राज्य के बाहर के स्कूलों में कक्षा XI और XII पढ़ने के लिए अपनी पसंद का प्रयोग करने का एक सचेत निर्णय लेने के बाद

असम में, वे यह दावा नहीं कर सकते कि उन्हें राज्य कोटा सीटों के बजाय असम राज्य के सरकारी कॉलेजों में एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए योग्य माना जाना चाहिए। याचिकाकर्ता मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं।

10. नियम 3 (1) (सी) में किए गए 2016 के संशोधन को चुनौती दी गई थी

गुवाहाटी उच्च न्यायालय के समक्ष। 2016 के प्रावधान अलग थे और समीक्षा आवेदन में, उच्च न्यायालय ने कहा था कि राज्य असम राज्य में चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिए राज्य कोटे की सीटों के तहत प्रवेश के लिए अधिवास के किसी भी उचित पात्रता मानदंड को निर्धारित कर सकता है। यह तर्क दिया जाता है कि राज्य संस्थागत वरीयता या राज्य में अध्ययन के वर्षों की संख्या के मानदंड निर्धारित कर सकता है। इसके बाद नियमों में संशोधन किया गया है।

11. 2017 के नियम असम राज्य में सातवीं से बारहवीं कक्षा तक 6 साल की स्कूली शिक्षा निर्धारित करते हैं। अन्य आवश्यकताएँ यह हैं कि [2018] 11 एस. सी. आर.

उम्मीदवार को स्थायी निवासी होना चाहिए और पिता/माता को लगातार 20 साल तक राज्य में रहना चाहिए। नियम 15 में एक बांड दाखिल करने का प्रावधान है जिसमें उपरोक्त शर्त हो। उच्च न्यायालय ने 2.8.2017 दिनांकित निर्णय द्वारा नियम की वैधता को बरकरार रखा है। इसी फैसले के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका दायर की गई थी। विशेष अनुमति याचिका का निपटारा कर दिया गया था और गुण-दोष के आधार पर निर्णय नहीं लिया गया था क्योंकि पहले से किए गए प्रवेश समय सीमा समाप्त होने के बाद बाधित नहीं किए जाने थे। जब वे बाहर निर्देश ले रहे थे तो याचिकाकर्ता पूरी तरह से जागरूक थे

राज्य कि वे असम राज्य में राज्य कोटा सीटों पर अपना दावा करने के योग्य नहीं हो सकते हैं। उन्होंने एन. ई. ई. टी. परीक्षा में बैठने से पहले नियम पर सवाल नहीं उठाया है। असम राज्य में सातवीं से बारहवीं कक्षा तक अध्ययन करने की शर्त इस उद्देश्य के साथ प्रदान की गई है कि उम्मीदवार अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद राज्य और इसकी आवश्यकता की सेवा करने के लिए असम राज्य में ही रहें। यह शर्त संवैधानिक रूप से वैध है और राज्य के सर्वोत्तम हित में है। राज्य के पास उपलब्ध सीमित संसाधनों को ध्यान में रखते हुए, यह प्रावधान संवैधानिक और कानूनी है। असम राज्य के लिए यह आवश्यक है कि सुदूर पूर्वोत्तर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की देखभाल के लिए डॉक्टर हों।

12. शिक्षा राज्य का विषय है और संविधान के भाग IV में निहित निदेशक सिद्धांतों में से एक यह है कि राज्य को अपनी अर्थव्यवस्था की सीमाओं के भीतर शिक्षा के लिए प्रभावी प्रावधान।

प्रवेश के मामले में राज्य के निवासियों को दी जाने वाली रियायत की गणना स्पष्ट रूप से उनके हितों की पूर्ति के लिए की जाती है क्योंकि संभवतः उनमें से कुछ कॉलेज से उत्तीर्ण होने के बाद डॉक्टर के रूप में बस सकते हैं और इलाके की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। वर्गीकरण उचित है और इसका संबंध कानून द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य से है और यह चुनौती के लिए उत्तरदायी नहीं है। अन्य राज्यों के मामले में इसी तरह की शर्त को इस न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया है। एम. बी. बी. एस./बी. डी. एस. पाठ्यक्रमों के संबंध में इस न्यायालय द्वारा कानून का निपटारा किया गया है। 13. याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ और अन्य वकीलों द्वारा प्रस्तुत किया गया था कि 2017 के नियमों के नियम 3 (1) (सी) में किया गया वर्गीकरण अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, जो मनमाना और अनुचित है। बेहतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए असम राज्य में सातवीं से बारहवीं कक्षा तक शिक्षा प्राप्त करने की शर्त पूरी तरह से अनावश्यक है और छात्र आमतौर पर राज्य से बाहर जाते हैं। राज्य उन्हें चिकित्सा राजदिप घोष बनाम में राज्य-कोटा सीटों के खिलाफ अपने दावे करने से वंचित नहीं कर सकता था।

असम में महाविद्यालय। यह भी आग्रह किया गया कि असम राज्य में कोचिंग सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, क्योंकि कुछ छात्रों ने अन्य राज्यों में उपलब्ध कोचिंग सुविधाओं के कारण बाहर प्रवेश प्राप्त किया है। इस प्रकार, केवल असम राज्य में ग्यारहवीं और बारहवीं कक्षा की शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक सवार को लागू करना उचित नहीं कहा जा सकता है। यह भी आग्रह किया गया कि कुछ उम्मीदवारों/याचिकाकर्ताओं के माता-पिता अरुणाचल प्रदेश जैसे अन्य पड़ोसी राज्यों की सरकारी सेवा में हैं। उनके बच्चों को भी प्रवेश से वंचित कर दिया गया है क्योंकि उन्होंने अपने माता-पिता के स्थान से शिक्षा प्राप्त की है।

दूसरे राज्यों में रहना। इस प्रकार, किया गया वर्गीकरण अनुचित और मनमाना है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि सरकारी रोजगार और निजी रोजगार के बीच अंतर नहीं किया जा सकता था

14. श्री मनिंदर सिंह, विद्वान ए. एस. जी. और श्री नलिन कोहली, विद्वान ए. ए. जी. और उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित अन्य विद्वान वकील नियम का समर्थन किया। यह प्रस्तुत किया गया था कि राज्य सरकार इस तरह का प्रावधान करने के लिए तैयार है। इसे असम राज्य में शिक्षा प्राप्त करने में छात्रों को सक्षम बनाने के लिए लागू किया गया है, जो अन्यथा असम के निवासी भी हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए कि शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे असम राज्य की जरूरतों को पूरा करें। डॉक्टरों की कमी है। इस प्रकार, राज्य में निवास और शिक्षा के आधार पर आरक्षण प्रदान करने का प्रावधान किया जा सकता था, अन्यथा किया गया वर्गीकरण उचित है। असम राज्य के कर्मचारियों या केंद्र सरकार के कर्मचारियों या निगम/एजेंसी/उपकरणों के कर्मचारियों या जो प्रतिनियुक्ति आदि पर बाहर तैनात हैं, के लिए प्रावधान किया गया है। द.

उन्हें आराम दिया गया है। शिक्षा प्राप्त करने का जो वर्गीकरण किया गया है वह उचित है। इसके अलावा, इसका उद्देश्य असम राज्य की जनता की सेवा करके प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के साथ एक तर्कसंगत संबंध रखता है। जिन छात्रों ने राज्य के बाहर शिक्षा प्राप्त की है, उनके असम में रहने की संभावना नहीं है। एम. बी. बी. एस. छात्रों को 5 साल के लिए राज्य की सेवा करने या चूक के मामले में Rs.30 लाख का भुगतान करने के लिए आवश्यक बांड प्रस्तुत करने के संबंध में नियम 15 का प्रावधान।

इस तरह के [2018] 11 एस. सी. आर. के लिए इस तरह के प्रावधान को पर्याप्त सुरक्षा नहीं कहा जा सकता है।

राज्य कोटे की सीटों के संबंध में आरक्षण की अनुमति है। इन्हें सरकार द्वारा निर्धारित पात्रता मानदंडों के अनुसार पूरा किया जाना आवश्यक है।

15. विचार के लिए मुख्य प्रश्न यह है कि क्या

16. नियम 3 (1) (सी) को पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि आवश्यकता कई गुना है। सबसे पहले, उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरा, वह असम का स्थायी नागरिक होना चाहिए और उसके लिए पिता/माता या उम्मीदवार को कम से कम 20 वर्षों की अवधि के लिए लगातार असम राज्य में रहना चाहिए। असम को आवंटित अखिल भारतीय सेवाओं के कर्मचारियों के संबंध में अपवाद बनाया गया है। तीसरी आवश्यकता यह है कि उम्मीदवार को असम राज्य में सातवीं से बारहवीं तक की सभी कक्षाओं में अध्ययन करना चाहिए और असम में स्थित संस्थान से योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण करनी चाहिए। ऐसे उम्मीदवारों के पक्ष में अपवाद बनाया गया है जिनके माता-पिता असम राज्य सरकार के कर्मचारी के रूप में या केंद्र सरकार के कर्मचारी के रूप में या असम सरकार या केंद्र सरकार के तहत निगम/एजेंसी/उपकरण के कर्मचारी के रूप में असम राज्य के बाहर तैनात हैं।

सरकार, प्रतिनियुक्ति, स्थानांतरण या नियमित नियुक्ति पर। उम्मीदवार की आयु 17 से 25 वर्ष के बीच निर्धारित करने वाले पात्रता मानदंडों के अलावा, उस अवधि के लिए अपवाद दिया गया है जब पिता या माता राज्य के बाहर काम कर रहे हैं। एससी/एसटी (पी)/एसटी (एच)/ओ. बी. सी. श्रेणी को अधिकतम आयु सीमा में तीन साल की छूट दी गई है।

17. प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर ध्यान देने से पहले, बार में निर्दिष्ट विभिन्न निर्णयों पर ध्यान देना उचित है। डी. पी. जोशी बनाम मध्य भारत और अन्र राज्य। , ए. आई. आर. 1955 एस. सी. 334, छात्र जो मध्य भारत का निवासी था, मालवा क्षेत्र के इंदौर में एक मेडिकल कॉलेज में शिक्षा प्राप्त कर रहा था। शुल्क के संबंध में भेदभाव था। इस न्यायालय ने कहा था कि मध्य भारत के निवासी छात्रों की सहायता के लिए वर्गीकरण अपनी सीमाओं के भीतर शिक्षा को प्रोत्साहित करने के वैध और प्रशंसनीय उद्देश्य के साथ किया गया था। न्यायालय ने कहा है:

राजदिप घोष बनाम। असम राज्य और ओ. आर. एस. [अरुण मिश्रा, जे।]

" 15. विवादित नियम में अंतर्निहित वर्गीकरण का उद्देश्य स्पष्ट रूप से मध्य भारत के निवासी छात्रों को उनकी पढ़ाई के अभियोजन में कुछ हद तक मदद करना था, और इस बात में कोई संदेह नहीं है कि किसी राज्य के लिए अपनी सीमाओं के भीतर शिक्षा को प्रोत्साहित करना काफी वैध और प्रशंसनीय उद्देश्य है। शिक्षा एक राज्य विषय, और संविधान के भाग IV में घोषित निर्देशक सिद्धांतों में से एक यह है कि राज्य को अपनी अर्थव्यवस्था की सीमाओं के भीतर शिक्षा के लिए प्रभावी प्रावधान करना चाहिए। (वीडियो

अनुच्छेद 41)। राज्य को अपने शैक्षणिक संस्थानों के रखरखाव और संचालन में योगदान देना होगा।

हम एक मेडिकल कॉलेज से संबंधित इस याचिका में हैं, और यह सर्वविदित है कि इस तरह के संस्थान को बनाए रखने के लिए काफी वित्त की आवश्यकता होती है। अगर राज्य को इस पर पैसा खर्च करना है, तो क्या यह होगा?

यह अनुचित है कि इसे शिक्षा प्रणाली को इस तरह से व्यवस्थित करना चाहिए कि इसका लाभ कम से कम कुछ हद तक राज्य के लाभ के लिए हो? राज्य के निवासियों को शुल्क के मामले में दी गई रियायत की गणना स्पष्ट रूप से इस सेवा के लिए की जाती है कि

अंत में, जैसा कि संभवत: उनमें से कुछ, कॉलेज से उत्तीर्ण होने के बाद, डॉक्टर के रूप में बस जाते हैं और इलाके की जरूरतों को पूरा करते हैं।

इस प्रकार वर्गीकरण एक ऐसे आधार पर आधारित है जिसका विधान के विषय-वस्तु के साथ उचित संबंध है और इसके परिणामस्वरूप है।

हमला करने के लिए खुला नहीं। यह पंजाब राज्य बनाम में आयोजित किया गया है। अजैब सिंह और एक अन्य, ए. आई. आर. 1953 एस. सी. 10 (जी) ने कहा कि भौगोलिक आधार पर एक वर्गीकरण वैध रूप से किया जा सकता है। इस तरह का वर्गीकरण

यह विशेष रूप से न्यायसंगत और उचित होगा, जहां यह संबंधित है

शिक्षा जो मुख्य रूप से राज्य की चिंता है। द.

इसलिए यह तर्क कि कैपिटेशन शुल्क लगाने वाला नियम अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है, खारिज किया जाना चाहिए।

18. कुमारी एन. वसुंधरा बनाम। मैसूर और अन्र राज्य। 1971 (2) 22 , इस न्यायालय ने मेडिकल कॉलेज में पुन: व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए सरकारी नियमों पर विचार किया। चयन के नियम 3 में 10 साल के लिए निवास की शर्त निर्धारित की गई थी। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि नियमों का उद्देश्य उन व्यक्तियों के वर्ग में से उपलब्ध व्यक्तियों को चिकित्सा शिक्षा प्रदान करना सुनिश्चित करना था जो सेवा करने की संभावना रखते थे।सी. टी. ओ. आर., मैसूर राज्य के निवासी और वही अनुचितता के दोष से नहीं हैं। न्यायालय ने कहा था:

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

. डी. पी. जोशी बनाम मध्य भारत और अन्र राज्य। , ए. आई. आर. 955 एस. सी. 334 में प्रवेश के लिए इस न्यायालय ने मध्य भारत राज्य के नियमों को बहुमत से बरकरार रखा था।

आत्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, इंदौर

गैर-मध्य भारत के छात्रों से प्रशस्ति पत्र शुल्क निर्धारित किया गया था कि वे नियम "अधिवास" शब्द का उपयोग इसके लोकप्रिय अर्थ में किया जाता था।

निवास का विचार प्रकट करना। वेंकटरामा अय्यर। जे., आर बोलते हुए बहुमत ने कहा:

" प्रत्यर्थी की ओर से यह भी आग्रह किया गया था कि नियम में "अधिवास" शब्द को इसके तकनीकी कानूनी अर्थ में नहीं, बल्कि एक लोकप्रिय अर्थ में "निवास" के रूप में समझा जा सकता है।

और वॉर्टन लॉ लेक्सिकन, 14 में निम्नलिखित मार्ग

संस्करण, पृष्ठ 344 को इस तरह के निर्माण के समर्थन के रूप में उद्धृत किया गया था:

" 'अधिवास' शब्द से, अपनी सामान्य स्वीकृति में, वह स्थान अभिप्रेत है जहाँ कोई व्यक्ति रहता है या उसका घर है। इस अर्थ में, वह स्थान जहाँ एक व्यक्ति का वास्तविक निवास, निवास है,

या सामान्यता, कभी-कभी उसका अधिवास कहा जाता है।

मैकमुलन बनाम। वैड्सवर्थ (1880) 14 ए. सी. 631, न्यायिक समिति द्वारा यह देखा गया था कि "अनुच्छेद 63 (लोअर कनाडा के सिविल कोड के) में 'अधिवास' शब्द का उपयोग निवास के अर्थ में किया गया था, और यह अंतर्राष्ट्रीय अधिवास को संदर्भित नहीं करता था"। जिस बात पर विचार किया जाना चाहिए वह यह है कि क्या वर्तमान संदर्भ में "अधिवास" का उपयोग निवास के अर्थ में किया गया था। नियम की आवश्यकता है

कैपिटेशन शुल्क का भुगतान और छूट का प्रावधान

इससे केवल राज्य के भीतर प्रामाणिक निवासियों को संदर्भित किया जाता है। नियम में अधिवास का कोई संदर्भ नहीं है, लेकिन निम्नलिखित स्पष्टीकरण में खंड (ए) और (बी) अधिवास को संदर्भित करते हैं, और वे "प्रामाणिक निवासी" की परिभाषा के हिस्से के रूप में पाए जाते हैं। कॉर्पस ज्यूरिस सेकंडम, खंड 28, पृष्ठ 5 में, यह है

कहा गया:

" 'प्रामाणिक निवास' शब्द का अर्थ है अधिवास के इरादे वाला निवास।

इसलिए, प्रत्यर्थी के तर्क में काफी बल है कि जब नियम बनाने वाले अधिकारियों ने संदर्भित किया

खंड (ए) और (बी) में अधिवास वे वास्तव में सोच रहे थे

निवास। इस दृष्टिकोण में भी, यह तर्क कि नियम अनुच्छेद 15 (1) के प्रतिकूल है, विफल होना चाहिए। राजदिप घोष बनाम।

असम राज्य और ओ. आर. एस. [अरुण मिश्रा, जे।]

विवादित नियम के तहत, उस मामले में, उन छात्रों से कोई कैपिटेशन शुल्क नहीं लिया जाना था जो प्रामाणिक निवासी थे मध्य भारत, और अभिव्यक्ति "प्रामाणिक निवासी" के लिए

नियम के उद्देश्य को इस प्रकार परिभाषित किया गया था (प्रासंगिक भाग को उद्धृत करने के लिए):

" वह कौन है

(क) भारत का एक नागरिक जिसका मूल अधिवास मध्य में है।

भरत लेकिन जिसने मध्य भारत में अधिवास प्राप्त कर लिया है और उस तारीख को कम से कम 5 साल तक वहाँ रहा है,

जिसे वह प्रवेश के लिए आवेदन करता है, या ((c) एक व्यक्ति जो सितंबर से पहले पाकिस्तान से चला गया हो।

30 , 1948 , और मध्य भारत में स्थायी रूप से रहने का इरादा रखता है,

या ((घ) एक्स

एक्स "।

एक्स

एक्स

हमारे विचार में, वर्तमान मामले में नियम 3 में उपयोग किए गए "अधिवास" शब्द का उपयोग मैसूर राज्य में रहने या रहने के इरादे के विचार को व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है। यदि निवास के आधार पर वर्गीकरण अनुच्छेद 14 में निहित समानता के सिद्धांत को बाधित नहीं करता है जैसा कि इस न्यायालय द्वारा पहले से ही उद्धृत निर्णय में माना गया है जो हम पर बाध्यकारी है, तो निवास की आगे की शर्त कम से कम दस वर्षों के लिए राज्य का वहां होना भी उतना ही वैध प्रतीत होगा जब तक कि याचिकाकर्ता द्वारा यह नहीं दिखाया जाता है कि दस साल की अवधि का चयन वर्गीकरण को इतना अनुचित बनाता है कि इसे मनमाना और बिना किसी ठोस आधार या बोधगम्य अंतर के प्रदान करता है। विवादित नियम तैयार करने का उद्देश्य उन व्यक्तियों के वर्ग में से उपलब्ध सर्वोत्तम प्रतिभाओं को चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करना प्रतीत होता है, जो मैसूर राज्य के निवासियों को डॉक्टर के रूप में सेवा देने के लिए, जहां तक उचित रूप से अनुमान लगाया जा सकता है। यह सच है कि यह पूर्ण निश्चितता के साथ कहना संभव नहीं है कि मेडिकल कॉलेजों में भर्ती होने वाले सभी लोग डॉक्टर के रूप में अर्हता प्राप्त करने के बाद मैसूर राज्य में ही रहेंगे: वास्तव में नागरिकों के रूप में उन्हें भारत में कहीं भी बसने का मौलिक अधिकार है और वे स्वतंत्र भी हैं, यदि वे चाहें और प्रबंधन कर सकते हैं,

आगे की पढ़ाई के लिए भारत से बाहर जाना या अन्यथा भी। लेकिन ये संभावनाएं हमारे संवैधानिक सेट (2018) 11 एस. सी. आर. में अनुमेय और अंतर्निहित हैं।

और ये विचार अन्यथा वैध नियम की संवैधानिकता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाल सकते हैं। माइनर पी. राजेंद्रन के मामले (1968) 2 एस. सी. आर. 786 में देखी गई समस्या और जैसा कि हाल ही में सामने आए बड़ी संख्या में मामलों से पता चलता है।

न्यायालय का कहना है कि चिकित्सा शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक उम्मीदवारों की संख्या चिकित्सा महाविद्यालयों में उपलब्ध सीटों की संख्या से बहुत अधिक है। हमारे देश में डॉक्टरों की आवश्यकता और मांग इतनी अधिक है कि युवा लड़कों और लड़कियों को लगता है कि चिकित्सा में

इसलिए, अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करने वाली असमानता के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है। याचिकाकर्ता द्वारा विवादित नियम को अनुचितता के दुष्प्रभाव से ग्रस्त नहीं दिखाया गया है। दूसरी ओर, राज्य द्वारा दायर जवाबी-हलफनामा, होने के उद्देश्य का खुलासा करता है राज्य के निवासियों को चिकित्सा सहायता प्रदान करके उनके हितों की सेवा करना।

8. याचिकाकर्ता का तर्क है कि जिन उम्मीदवारों के माता-पिता को मैसूर राज्य से बाहर रहने की आवश्यकता है और जिनके पास किसी एक राज्य में दस साल पूरे किए बिना अपने निवास को बार-बार एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित करने के लिए मजबूर करने वाले कारण भी हैं,

पीड़ित होंगे क्योंकि उनके माता-पिता इस दौरान दस साल के लिए मैसूर राज्य में अपने बच्चों के निवास की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं।

उनकी उम्र के पहले 17 साल, केवल यह सुझाव देते हैं कि विवादित नियम के तहत कठिनाई के कुछ मामलों की संभावना है। लेकिन लगभग किसी भी नियम के काम करने में कठिनाई के मामले उत्पन्न होने की संभावना है जिसे एक लंबी सूची में से प्रवेश के लिए सीमित संख्या में उम्मीदवारों के चयन के लिए तैयार किया जा सकता है। हालाँकि, यह नियम असंवैधानिक नहीं होगा। के काम में कठिनाई के खिलाफ राहत के लिए एक वैध नियम, याचिकाकर्ता को कहीं और संपर्क करना पड़ता है क्योंकि यह नियम में अंतर्निहित नीति से संबंधित है। चिकित्सा में सीटों की संख्या के बीच व्यापक अंतर के खिलाफ शिकायत का निवारण

महाविद्यालयों और डॉक्टर बनने के इच्छुक उम्मीदवारों की संख्या राजदिप घोष v.

असम राज्य और ओ. आर. एस. [अरुण मिश्रा, जे।]

अपनी आजीविका कमाने और देश की जरूरतों को पूरा करने के लिए भी इस न्यायालय में नहीं, बल्कि कहीं और तलाश की जानी चाहिए, जो केवल शासन की संवैधानिकता से संबंधित है।

19. डॉ. प्रदीप जैन और अन्य में। वी. भारत संघ और अन्य। , (1984) सी 654 में, न्यायालय ने कहा है कि एमबीबीएस पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश के मामले में किसी विशेष राज्य में निवास की बहाली तर्कहीन या अप्रासंगिक नहीं हो सकती है और न ही अनुच्छेद 14 का उल्लंघन हो सकता है। न्यायालय ने टिप्पणी की:

" 19. उपरोक्त चर्चा से यह ध्यान दिया जाएगा कि हालांकि किसी राज्य के विभिन्न जिलों या क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों के बीच अंतर-राज्यीय भेदभाव को अदालत ने मोटे तौर पर खारिज कर दिया है और माइनर पी. राजेंद्रन के मामले (ऊपर) और पेरुकरुप्पन के मामले (ऊपर) की तरह अमान्य करार दिया है। डी. एन. चंचला के मामले और इसी तरह के अन्य मामलों में मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए विश्वविद्यालयवार सीटों के वितरण के माध्यम से संस्थागत आरक्षण लागू किया गया। न्यायालय ने डी. पी. जोशी के मामले में भी अपने निर्णयों द्वारा और एन. वसुंधरा के मामले (उपरोक्त) ने मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के उद्देश्य से राज्य के भीतर निवास के आधार पर आरक्षण की संवैधानिक वैधता को बनाए रखा है। ये निर्णय जो सभी एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश से संबंधित हैं, हम पर बाध्यकारी हैं और इसलिए हमारे लिए यह मानना संभव नहीं है कि इन निर्णयों के बावजूद, एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए राज्य में निवास की आवश्यकता तर्कहीन और अप्रासंगिक है और अनुच्छेद 14 में निहित अवसर की समानता के जनादेश का उल्लंघन किए बिना प्रवेश के लिए एक शर्त के रूप में पेश नहीं किया जा सकता है। यह निश्चित रूप से सच है कि चिकित्सा शिक्षा समीक्षा समिति

भारत सरकार द्वारा स्थापित अपनी रिपोर्ट में

सभी प्रासंगिक विचारों को ध्यान में रखते हुए सिफारिश की गई कि "अंतिम उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होना चाहिए कि एमबीबीएस पाठ्यक्रम में सभी प्रवेश अखिल भारतीय स्तर पर उम्मीदवारों के लिए खुले होने चाहिए। चिकित्सा शिक्षा समीक्षा समिति [2018] 11 एस. सी. आर. ने कहा कि मौजूदा अधिवास शर्त को लागू किए बिना, लेकिन उस स्तर पर संक्रमण की व्यावहारिक कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए जहां सभी मेडिकल कॉलेजों में एम. बी. बी. एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश अखिल भारतीय आधार पर होगा।

वर्तमान परिस्थितियों में, इसे अपनाने के लिए, क्योंकि यह अवसर की वास्तविक समानता पैदा नहीं कर सकता है जब तक कि असमानताओं और असमानताओं का पूर्ण अभाव न हो-ऐसी स्थिति जो आज देश में मौजूद नहीं है। भारी सामाजिक और आर्थिक विषमताएँ हैं और न केवल राज्य और राज्य के बीच बल्कि एक राज्य के भीतर क्षेत्र और क्षेत्र के बीच और यहां तक कि एक ही क्षेत्र के नागरिकों और नागरिकों के बीच भी असमानताएँ। अमीर और गरीब के बीच जम्हाई लेने का अंतर है और इतनी सारी अक्षमताएं और अन्याय हैं जिनसे गरीब एक वर्ग के रूप में पीड़ित हैं जिनका वे लाभ नहीं उठा सकते हैं

किसी भी अवसर के लिए जो कानून में खुले हो सकते हैं उन्हें। उनके पास इन अवसरों का लाभ उठाने के लिए सामाजिक और भौतिक संसाधन नहीं हैं जो केवल कानून द्वारा मान्यता प्राप्त कागजों पर बने हुए हैं लेकिन वास्तव में मौजूद नहीं हैं। पिछड़े राज्यों या क्षेत्रों के छात्र शायद ही उन्नत राज्यों या क्षेत्रों के छात्रों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम होंगे क्योंकि

एक बुद्धिमान दिमाग, उनके पास विकास के लिए पर्याप्त अवसर नहीं होते ताकि वे दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की स्थिति में हों।

राजदिप घोष बनाम। असम राज्य और ओ. आर. एस. [अरुण मिश्रा, जे।]

इसी तरह कमजोर वर्ग के छात्र, जो अपनी सामाजिक या आर्थिक रूप से वंचित स्थिति के कारण अच्छे स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम नहीं हुए हैं, उन्हें समृद्ध या संपन्न परिवारों के छात्रों की तुलना में नुकसान होगा, जिन्होंने सबसे अच्छी स्कूली शिक्षा प्राप्त की है और खुले अखिल भारतीय प्रतियोगिता में, उन्हें सबसे बुरी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे कई छात्र भी होंगे, जो यदि अपने आवास के पास के मेडिकल कॉलेज में प्रवेश नहीं लेते हैं और अखिल भारतीय प्रतियोगिता के परिणामस्वरूप किसी अन्य राज्य के दूर के कॉलेज में प्रवेश दिया जाता है, तो वे संसाधनों और सुविधाओं की कमी के कारण ऐसे अन्य कॉलेज में नहीं जा सकते हैं और इसके परिणामस्वरूप, वे मेडिकल पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाने के वास्तविक अवसर से प्रभावी रूप से वंचित हो जाएंगे, भले ही उन्हें कागज पर मेडिकल कॉलेज में प्रवेश मिल जाता। यह इन छात्रों को यह बताने के समान होगा कि उन्हें चिकित्सा पाठ्यक्रम लेने का अवसर दिया जाता है, लेकिन अगर वे उस मेडिकल कॉलेज के कारण इसे वहन नहीं कर सकते हैं जिसमें वे बहुत दूर होने के कारण भर्ती हैं।

एक और राज्य, यह उनका दुर्भाग्य है: राज्य इसकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि राज्य ने वह सब किया है जो वह कर सकता था, अर्थात्, समान अवसर प्रदान करना।

सभी को चिकित्सा शिक्षा के लिए। लेकिन सवाल यह है कि दिया गया अवसर वास्तविक है या भ्रामक? इसलिए हम हैं

यह विचार कि व्यापक आधार पर चिकित्सा प्रवेश के अवसरों को बराबर करने के लिए निवास की आवश्यकता के आधार पर आरक्षण का एक निश्चित प्रतिशत वैध रूप से किया जा सकता है और वास्तविक और औपचारिक नहीं, वास्तविक और न केवल कानूनी, समानता लाने के लिए। इस हिसाब से किए गए आरक्षण का प्रतिशत

पी. यू. सी. या उसी विश्वविद्यालय की पूर्व-चिकित्सा परीक्षा उत्तीर्ण करने या स्कूल प्रणाली से योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों के लिए संस्थागत आरक्षण भी शामिल हो सकता है।

राज्य में मेडिकल कॉलेजों के शैक्षणिक क्षेत्र और इस उद्देश्य के लिए स्कूलों के बीच कोई अंतर नहीं होना चाहिए। राज्य बोर्ड और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध स्कूलों से संबद्ध, एक अंतरिम उपाय के रूप में प्रदान करना संवैधानिक रूप से अनुमत होगा, जब तक कि हम उस स्तर तक नहीं पहुंच जाते जब हम व्यापक अर्थों में समानता के शासन के व्यापक जनादेश के साथ लगातार राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा के आधार पर पाठ्यक्रम में प्रवेश सुनिश्चित कर सकते हैं-एक आदर्श जिसे हमें एक निश्चित प्रतिशत [2018] 11 एस. सी. आर. के आरक्षण के लिए तेजी से प्रयास करना चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

निर्धारित मानदंडों को पूरा करने वाले छात्रों के लिए मेडिकल कॉलेजों में सीटों की संख्या

निवास आवश्यकता के साथ-साथ उन छात्रों के लिए भी जिन्होंने विश्वविद्यालय या राज्य द्वारा आयोजित पी. यू. सी. या पूर्व-चिकित्सा परीक्षा या कोई अन्य योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण की है और इस उद्देश्य के लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि योग्यता परीक्षा क्या है।

राज्य बोर्ड या केंद्रीय बोर्ड द्वारा संचालित

माध्यमिक शिक्षा, क्योंकि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध स्कूलों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। हम इंगित कर सकते हैं

कि दलीलों के समापन पर हमने विद्वान महान्यायवादी से अदालत को सूचित करने के लिए कहा कि इस तरह के आरक्षण के मामले में भारत सरकार का क्या रुख था और विद्वान महान्यायवादी द्वारा की गई जांच के जवाब में

न्यायालय ने एक नीतिगत बयान दायर किया जिसमें निम्नलिखित शामिल थे:

भारत सरकार की नीति का निर्माण:

केंद्र सरकार आम तौर पर इस सिद्धांत का विरोध करती है -

अन्यथा। व्यावसायिक शिक्षा संस्थानों सहित उच्च शिक्षा संस्थानों की प्रणाली की क्षेत्रीय रूप से स्पष्ट प्रकृति को देखते हुए, संस्थानों के भीतरी इलाकों की शैक्षिक प्रणाली से आने वाले छात्रों के लिए स्नातक पाठ्यक्रमों में उचित मात्रा के लिए आरक्षण या वरीयता निर्धारित करने पर कोई आपत्ति नहीं है। इस उद्देश्य के लिए, संबद्ध स्कूलों के बीच कोई अंतर नहीं होना चाहिए राज्य बोर्ड और सी. बी. एस. ई. से संबद्ध स्कूलों को।

हमें यह जानकर खुशी हो रही है कि निवास की आवश्यकता और संस्थागत वरीयता के आधार पर आरक्षण के मामले में भारत सरकार की नीति उस संबंध में हमारे द्वारा लिए गए दृष्टिकोण के अनुरूप है। हम यह इंगित कर सकते हैं कि भले ही किसी स्तर पर अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा के आधार पर आई. डी. 1 पाठ्यक्रम में प्रवेश को विनियमित करने का निर्णय लिया जाए, लेकिन निवास या संस्थागत संबद्धता के आधार पर चयनित उम्मीदवारों के बीच सीटों के आवंटन के लिए कुछ प्रावधान करना होगा ताकि इसे लागू किया जा सके।

उपरोक्त कारकों को ध्यान में रखें।

20. अनंत मदान बनाम। हरियाणा राज्य और अन्य। , (1995) 2 135 , न्यायालय ने राजदिप घोष बनाम प्रदान करने वाले प्रावधान की वैधता पर विचार किया।

असम राज्य और ओ. आर. एस. [अरुण मिश्रा, जे।]

उम्मीदवार की शिक्षा के आधार पर 85 प्रतिशत सीटों का आवंटन

अधिवास की आवश्यकता के साथ राज्य में 3 वर्ष का कार्यकाल।

शर्त को अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं माना गया था। न्यायालय ने कहा है:

" 4. पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ता

1994 की पात्रता शर्तों को चुनौती दी थी क्योंकि वे यह आवश्यक है कि उम्मीदवारों ने 10 वीं, 11 वीं के लिए अध्ययन किया हो और

12 मान्यता प्राप्त संस्थानों में नियमित उम्मीदवारों के रूप में मानक

हरियाणा। उन्होंने शुद्धिपत्र को भी चुनौती दी थी। इन दोनों

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश जिन्होंने सुनवाई की

ये रिट याचिकाएँ अलग-अलग थीं। इसलिए याचिकाएं भेजी गईं

एक तीसरा न्यायाधीश जिसने न्यायाधीशों में से एक के साथ सहमति व्यक्त की और कहा कि

एक उम्मीदवार को 10 वीं में अध्ययन करने की आवश्यकता की शर्त,

10 + 1 और हरियाणा में मान्यता प्राप्त संस्थानों में 10 + 2 कक्षाएँ थीं

वैध है। शुद्धिपत्र में वह शर्त जिसके लिए एक शपथ पत्र की आवश्यकता होती है उम्मीदवार के माता-पिता या अभिभावक से कि उम्मीदवार

किसी की प्रवेश परीक्षा में उपस्थित नहीं हुआ था या उपस्थित नहीं हुआ था

हालाँकि, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को मनमाने तरीके से निरस्त कर दिया गया था

और अनुचित। हालाँकि, वर्तमान अपीलों में, हम नहीं हैं शुद्धिपत्र से संबंधित।

***

***

***

8. उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, हमें विचार करना होगा कि क्या

ऐसी स्थिति जिसमें उम्मीदवार को 10 वीं, 10 + 1 में अध्ययन करने की आवश्यकता हो और

10 + 2 हरियाणा राज्य में किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में कक्षाएं,

इसे मनमाना या अनुचित माना जा सकता है। यह अब ठीक है

निवास के आधार पर प्रवेश में उस वरीयता का निपटारा किया, जैसे

साथ ही संस्थागत वरीयता, तब तक अनुमत है जब तक वहाँ है

आवासीय या संस्थागत आधार पर कोई कुल आरक्षण नहीं वरीयता। 1955 में डी. पी. जोशी बनाम.

मध्य भारत और अन्र राज्य।, ए. आई. आर. 1955 एस. सी. 334, यह

जन्म स्थान और निवास स्थान के बीच अंतर करते हुए न्यायालय,

शिक्षा में निवास के आधार पर वरीयता को बरकरार रखा

संस्थाएं।

9. जगदीश सरन (डॉ.) बनाम के मामले में। भारत संघ, (1980)

2 एस. सी. आर. 831, इस न्यायालय ने दोहराया कि क्षेत्रीय वरीयता या

[2018] 11 एस. सी. आर. में प्रवेश देने में निवास के आधार पर वरीयता।

मेडिकल कॉलेज मनमाने या अनुचित नहीं थे जब तक कि यह इस आधार पर थोक आरक्षण नहीं था। इस न्यायालय ने विभिन्न कारणों का उल्लेख किया कि इस तरह की वरीयता की आवश्यकता क्यों हो सकती है। के लिए

उदाहरण के लिए, किसी विशेष क्षेत्र के निवासियों के पास तकनीकी शिक्षा के लिए बहुत सीमित अवसर हो सकते हैं, जबकि क्षेत्र को ऐसे तकनीकी रूप से योग्य व्यक्तियों की आवश्यकता हो सकती है। जो उम्मीदवार उस क्षेत्र के निवासी थे, उनके इस क्षेत्र में रहने और अपने क्षेत्र की सेवा करने की अधिक संभावना थी यदि उन्हें राज्य के तकनीकी संस्थानों, विशेष रूप से मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए प्राथमिकता दी जाती थी। एक राज्य जिसमें चिकित्सा कर्मियों की कमी थी, उसे देना उचित होगा।

चिकित्सा महाविद्यालयों में अपने स्वयं के निवासियों को प्राथमिकता निवासी, डॉक्टर के रूप में अर्हता प्राप्त करने के बाद, राज्य में रहने और अपने राज्य को अपनी सेवाएं देने की अधिक संभावना रखते थे। न्यायालय ने यह भी कहा कि महिला छात्रों के मामले में, क्षेत्रीय या आवासीय वरीयता उचित हो सकती है क्योंकि उनके माता-पिता उन्हें चिकित्सा शिक्षा के लिए राज्य से बाहर भेजने के लिए तैयार नहीं हो सकते हैं। हालाँकि, हमें उन विभिन्न कारणों की जांच करने की आवश्यकता नहीं है जिन्होंने इस न्यायालय को मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए आवासीय या संस्थागत वरीयता को बनाए रखने के लिए प्रेरित किया है। प्रदीप जैन (डॉ.) बनाम मामले में इस न्यायालय के निर्णय से इस प्रश्न का निपटारा किया जाता है। भारत संघ, (1984) 3 एस. सी. आर. 942। इस न्यायालय ने उस निर्णय में कहा है: (एस. सी. आर पी. 981 : एस. सी. सी पी. 687 ,

पैरा 19)

" इसलिए हमारा मानना है कि एक निश्चित प्रतिशत

निवास आवश्यकता के आधार पर आरक्षण हो सकता है

वैध रूप से व्यापक आधार पर चिकित्सा प्रवेश के अवसरों को समान बनाने और वास्तविक और औपचारिक नहीं, वास्तविक और न केवल कानूनी, समानता लाने के लिए बनाया जाए। इस हिसाब से किए गए आरक्षण के प्रतिशत में पी. यू. सी. या प्री-मेडिकल उत्तीर्ण करने वाले छात्रों के लिए संस्थागत आरक्षण भी शामिल हो सकता है।

उसी विश्वविद्यालय की परीक्षा या शैक्षणिक प्रणाली से योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण करना।

राज्य के मेडिकल कॉलेजों के भीतरी इलाकों में "।

इस न्यायालय ने उस मामले में निर्णय दिया कि इस आधार पर 70 प्रतिशत तक आरक्षण की अनुमति होगी। बाद में इस न्यायालय द्वारा दिनेश कुमार (डॉ.) बनाम के मामले में आरक्षण का यह प्रतिशत बढ़ाकर 85 प्रतिशत कर दिया गया। मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, (1986) 3 एससीआर 345।

इस न्यायालय ने उस मामले में शेष 15 प्रतिशत सीटों के लिए अखिल भारतीय आधार पर एक प्रवेश परीक्षा का निर्देश दिया।

राजदिप घोष बनाम। असम राज्य और ओ. आर. एस. [अरुण मिश्रा, जे।]

10. वर्तमान मामले में, हरियाणा के मान्यता प्राप्त स्कूलों/कॉलेजों में पिछले तीन वर्षों से अध्ययन करने वाले उम्मीदवारों के आधार पर जो आरक्षण दिया गया है, वह इन 85 प्रतिशत सीटों के संबंध में है। इसमें 15 प्रतिशत सीटें शामिल नहीं हैं जिन्हें एक सीट पर भरा जाना है। अखिल भारतीय आधार। अतः यह पात्रता मानदंड ऊपर निर्दिष्ट इस न्यायालय के निर्णयों के अनुरूप है। इसलिए इसे मनमाना या अनुचित या संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं माना जा सकता है।

21. डॉ. जगदीश सरन और ओआरएस में। वी. भारत संघ, (1980) 2 एस. सी. सी. 768, के आरक्षण की संवैधानिकता का सवाल उठा

पेशेवर पाठ्यक्रमों में स्थानीय उम्मीदवारों के लिए सीटें या कोटा। चाहे वह उच्च शिक्षा में समान अवसर से वंचित करना हो। न्यायालय ने कहा कि जिस क्षेत्र में संस्थान स्थित है, वह डिग्री पाठ्यक्रमों के लिए एक प्रासंगिक विचार है, लेकिन विचार अलग हैं, अगर पाठ्यक्रम विशेषज्ञता के उच्च स्तर पर है, और यदि रियायत स्पष्ट रूप से है।

भेदभावपूर्ण, सबूत का भार प्रतिवादी-राज्य पर है। जहां आंकड़े, तथ्य और आंकड़े अपर्याप्त हैं, अदालत असंवैधानिकता पर फैसला देने और परिणामी आदेश पारित करने के लिए अनिच्छुक होगी यदि इसका प्रभाव नीतिगत मामलों से जुड़े व्यापक होना है। न्यायालय ने कहा है कि

' 'कानून के समक्ष समानता' के अलावा, पूर्ण विकास के लिए कानूनों के समान संरक्षण की गारंटी है। फिर भी हमारे अपूर्ण समाज में योग्यता को मापने के लिए सामान्य प्रवेश परीक्षा जैसे कुछ वस्तुनिष्ठ मानक निर्धारित किए गए हैं।

व्यक्तिपरक हेरफेर या विश्वविद्यालय-बुद्धिमान अभेद्यता के बिना। न्यायालय ने कहा है कि विश्वविद्यालय के छात्रों को वरीयता दी जा सकती है। यह रणनीति उन पिछड़े लोगों की सेवा करने की संभावना सुनिश्चित करती है जिनके लिए चिकित्सा पाठ्यक्रम खोले गए थे। न्यायालय ने कहाः

" 20. पुनः, यदि राज्य को पता चलता है कि केवल पिछड़े क्षेत्रों के छात्र, जब चिकित्सा स्नातक दिए जाते हैं, तो वे उस क्षेत्र में सेवा करने की परवाह करेंगे, जो अपनेपन की भावना से उस की ओर आकर्षित होते हैं, और जो बाहर से आते हैं, वे स्नातक होने पर शहरों या अपने क्षेत्रों के लिए रवाना हो जाते हैं, तो वह पिछड़े क्षेत्रों के छात्रों के लिए वरीयता या आरक्षण की नीति विकसित कर सकता है। उस विश्वविद्यालय। यह रणनीति उन पिछड़े लोगों की सेवा करने की संभावना सुनिश्चित करती है जिनके लाभ के लिए चिकित्सा पाठ्यक्रम खोले गए थे। ऐसे उपाय जो समानता के लिए करते हैं

चिकित्सा शिक्षा और चिकित्सा सेवा के लिए अवसर

अनुच्छेद 14 और 15 द्वारा भी पिछड़े मानव क्षेत्रों को संवैधानिक बनाया जा सकता है। लेकिन यह याद रखना चाहिए कि अपवाद [2018] 11 एस. सी. आर. नहीं हो सकते।

दंगों को चलाकर या निश्चित रूप से प्रत्येक विश्वविद्यालय और प्रत्येक पाठ्यक्रम में आरक्षण देकर स्वयं नियम पर शासन करें। उदाहरण के लिए, आप मेधावी उम्मीदवारों को पूरी तरह से बाहर नहीं कर सकते हैं।

यह उप-मानक उम्मीदवारों को बढ़ावा देगा और लंबे समय में, उसी क्षेत्र में चिकित्सा क्षमता में गिरावट लाएगा, जो हानिकारक है। सीमा पर प्रतिभा के थोक बलिदान द्वारा लोगों पर क्वाक्स और मेडिकल मिडगेट्स डालना कोई आशीर्वाद नहीं है। न ही सर्वश्रेष्ठ को प्रवेश से अस्वीकार किया जा सकता है क्योंकि यह एक राष्ट्रीय नुकसान होगा और किसी भी क्षेत्र के हित राष्ट्र के हितों से अधिक नहीं हो सकते हैं। इसलिए, इन सीमाओं के भीतर, ज्यादतियों में जाए बिना, राज्य के नीतिगत विकल्पों के खेलने की गुंजाइश है।

***

***

***

अवसर जहाँ इसकी गणना असंतुलन को ठीक करने के लिए की जाती है या बाधा डालना और व्यापक अर्थों में समानता की अनुमति देना।

***

***

***

32. यदि स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय-वार वर्गीकरण प्रासंगिक और उचित दिखाया गया है और अंतर का समानीकरण के बड़े लक्षय के साथ संबंध है शैक्षणिक अवसर भेदभाव की बुराई नियम को अमान्य नहीं कर सकती है।

***

***

***

40. ब्रास टैक्स की बात करें तो, समान अंकों से विचलन केवल तभी अनुमोदन के साथ पूरा होगा जब ऊपर निर्धारित आवश्यक शर्तों को पूरा किया जाए। जिस वर्ग को आरक्षण प्राप्त है, वह शैक्षिक रूप से होना चाहिए।

विकलांग। आरक्षण को बाधा से उबरने के लिए तैयार किया जाना चाहिए। आरक्षण का औचित्य चिकित्सा छात्रों के मामले में होना चाहिए, क्षेत्रीय या वर्ग की अपर्याप्तता को हटाना या नुकसान को बढ़ाना। आरक्षण की मात्रा अत्यधिक या सामाजिक रूप से हानिकारक नहीं होनी चाहिए, जिसे अंतिम उत्पाद की समग्र क्षमता से मापा जाता है। डिग्री धारक। कई चर प्रभाव डालते हैं आरक्षण की मात्रा निर्धारित करना। लेकिन एक कारक पर बहुत जोर दिया जाना चाहिए। विशेषता का स्तर जितना अधिक होगा, उतनी ही कम भूमिका राजदिप घोष बनाम की होगी।

असम राज्य और ओ. आर. एस. [अरुण मिश्रा, जे।]

आरक्षण। इस तरह की सामाजिक व्यवहारिकता और गतिशीलता

न्याय और समान अधिकार, आइए हम मामले में परीक्षणों को लागू करें।

***

***

*

**

44. दूसरा, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसकी निंदा करना मुश्किल है या

योग्यता मानदंड का त्याग करें जब चयन स्नातकोत्तर के लिए हो।

या विशेष विषयों में डॉक्टरेट के बाद के पाठ्यक्रम। वहाँ कोई नहीं है

सरासर प्रतिभा के लिए, रचनात्मक प्रतिभा के लिए, बढ़िया-ट्यून के लिए विकल्प कुछ विषयों की कठिन ऊंचाइयों पर प्रदर्शन जहां

सबसे अच्छा अकेले सबसे अच्छा खिलने की संभावना है। माकिशली के प्रति सहानुभूति रखने के लिए

कमजोर वर्गों के साथ उप-मानक उम्मीदवारों का चयन करना है

उत्कृष्टता की संभावना से इनकार करके समग्र रूप से समाज को दंडित करना

अस्पताल सेवा में कहें। यहाँ तक कि सबसे गरीब भी, जब गंभीर रूप से पीड़ित होते हैं बीमारी, अत्यधिक कुशल विशेषज्ञों के ध्यान की आवश्यकता है, विनम्रता की नहीं

दूसरा-दरें। तो यह योग्यता पर छूट है, अति-शासन समानता द्वारा।

और गुणवत्ता पूरी तरह से, एक सामाजिक जोखिम है जहां मंच पोस्ट है

स्नातक या स्नातकोत्तर "।

22. न्यायालय ने यह भी कहा कि कानून कोई पूर्ण तर्क नहीं है, बल्कि

जीवन के वर्तमान सामाजिक तथ्यों की परिचारिका। इस न्यायालय ने माना है कि एम. बी. बी. एस. पाठ्यक्रम के लिए विचार अलग-अलग हैं जो मूल पाठ्यक्रम है और विशेष विषय में स्नातकोत्तर या डॉक्टरेट के बाद के पाठ्यक्रमों के लिए चयन अलग-अलग है। इसने यह भी कहा कि एम. बी. बी. एस. पाठ्यक्रम जैसे बुनियादी पाठ्यक्रमों में आरक्षण प्रदान करने की अनुमति है, लेकिन यह अलग होगा यदि इस तरह का आरक्षण अति-कौशल विशेषताओं के लिए किया जाता है। न्यायालय ने निर्धारित किया

है कि इस तरह के आरक्षण की अनुमति मूल एमबीबीएस डिग्री पाठ्यक्रम में है, न कि स्नातकोत्तर या पोस्ट-डॉक्टरेट पाठ्यक्रमों में।

23. सौरभ चौधरी में इस न्यायालय की एक संविधान पीठ और

ओआरएस। वी. भारत संघ और अन्य। (2003) 11 एस. सी. सी. 146 ने संस्थागत वरीयता प्रदान करके चिकित्सा महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए आरक्षण के प्रश्न पर विचार किया। बहुमत के साथ, न्यायालय ने कहा कि 'जन्म स्थान' अभिव्यक्ति 'अधिवास' अभिव्यक्ति का पर्याय नहीं है और वे दो अलग-अलग अवधारणाओं को दर्शाते हैं। 'जन्म स्थान' शब्द अनुच्छेद 15 (1) में आता है लेकिन अधिवास नहीं। यह सवाल कि क्या अनुच्छेद 15 (1) के संदर्भ में अधिवास के आधार पर आरक्षण की अनुमति नहीं है, का जवाब नकारात्मक में दिया गया था। संयुक्त राज्य अमेरिका में लागू सख्त जांच परीक्षण या मध्यवर्ती जांच परीक्षण लागू नहीं किया जा सकता है। इस तरह का परीक्षण भारतीय अदालतों में लागू नहीं होता है।

इसे ऐसे मामले में लागू किया जा सकता है जहां कानून के कारण किसी नागरिक का जीवन और स्वतंत्रता खतरे में है। किसी कानून की संवैधानिकता का अनुमान लगाया जाना चाहिए और इसके विपरीत साबित करने का भार उस पर है जो इस बात का दावा करता है। अदालतें हमेशा एक ऐसे निर्माण के खिलाफ झुकती हैं जो क़ानून को व्यर्थ कर देता है। किसी कानून या उसमें किसी भी अधिनियमन प्रावधान का इस तरह से अर्थ लगाया जाना चाहिए कि वह व्यक्त किए गए सिद्धांत पर प्रभावी और प्रभावी हो। मैक्सिम यू रेज़ मैजिज़ वैलेट क्वाम पेरेटी में। ई. , किसी वस्तु के लिए शून्य होने की तुलना में प्रभाव डालना बेहतर है। यहां तक कि उक्त परीक्षा को लागू करते हुए, यह देखा गया कि यह नहीं माना जा सकता है कि वर्तमान परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए संस्थागत आरक्षण को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। विधायक स्थानीय जरूरतों के लिए भी अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते। अनुच्छेद 41 और 47 में निहित राज्य के कर्तव्यों को ध्यान में रखते हुए स्थानीय जरूरतों पर उचित विचार किया जाना चाहिए। संस्थागत वरीयता द्वारा आरक्षण अनुच्छेद 14 के अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं है। कुछ लोगों की कठिनाई किसी भी क़ानून की वैधता निर्धारित करने के लिए वैध आधार नहीं हो सकती है। न्यायालय ने टिप्पणी की:

" 65. इसलिए, हम इस तर्क पर भी ध्यान दे सकते हैं कि क्या यह संस्थागत है।

आरक्षण उपरोक्त मानदंडों को पूरा करता है या इसका आकलन नहीं किया जाना चाहिए

निम्नलिखित के बारे में: -

1. संवैधानिकता का अनुमान है;

2. सबूत का भार रिट याचिकाकर्ताओं पर है जैसा कि उनके पास है प्रावधानों की संवैधानिकता पर सवाल उठाया;

इसकी विधायी क्षमता;
4. कुछ लोगों की कठिनाई वैधता निर्धारित करने का आधार नहीं हो सकती है।

किसी भी कानून से।

***

***

***

67. अतः यह न्यायालय निम्नलिखित बातों पर ध्यान दे सकता है:

(i) राज्य विश्वविद्यालयों का संचालन करता है।

((ii) चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने में बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है।

(iii) जो स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेते हैं, वे भी हैं वजीफे का भुगतान करने की आवश्यकता है। कुछ सीटों का आरक्षण

इस प्रकार, उचित सीमा तक समानता खंड का उल्लंघन नहीं करेगी।

राजदिप घोष बनाम। असम राज्य और ओ. आर. एस. [अरुण मिश्रा, जे।]

((iv) संस्थागत वरीयता के मानदंड अब बने हुए हैं। यह पिछले लगभग वर्षों से अधिकांश राज्यों में संतोषजनक रूप से काम कर रहा है।

(v) यहां तक कि वे राज्य जिन्होंने इस न्यायालय के निर्णय की अवहेलना की डॉ. प्रदीप जैन के मामले (ऊपर) ने आवश्यकता को महसूस किया था

संस्थागत वरीयता।

(vi) प्रस्थान के लिए कोई पर्याप्त सामग्री रिकॉर्ड पर नहीं लाई गई है। इस सुस्थापित प्रवेश मानदंड से।

(vii) यह किसी भी संदेह से परे है कि संस्थागत वरीयता यह एक उचित और पहचान योग्य वर्गीकरण पर आधारित है। यह हो सकता है

कि आरक्षण का प्रतिशत निश्चित रूप से निर्धारित करते समय

कुछ स्थानीय छात्रों को वरीयता दी जाएगी

तथ्य यह है कि अधिवास/निवास प्रवेश के मानदंडों में से एक था एमबीबीएस पाठ्यक्रम में। लेकिन स्थानीय छात्रों के साथ मिलकर 15 प्रतिशत,

अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा में भाग लेने वाले छात्र

जिन्हें संस्थागत रूप से आरक्षण का लाभ मिलना था वरीयता और कम हो जाएगी यदि इस न्यायालय का निर्णय

डॉ. प्रदीप जैन के मामले (ऊपर) का सावधानीपूर्वक पालन किया जाता है।

(viii) ऐसी वरीयता देना राज्य की नीति का विषय है जो

अनुच्छेद 14 के उल्लंघन की स्थिति में ही अमान्य किया जा सकता है। भारत का संविधान।

(ix) वे छात्र जिन्हें संस्थागत शिक्षा का लाभ मिलेगा वरीयता पहचान योग्य आधार पर होने के कारण, शायद ही कोई हो

हेरफेर के लिए।

***

***

*** 70. इसलिए, हम अनुपात से अलग होने का कोई कारण नहीं पाते हैं।

डॉ. प्रदीप जैन (ऊपर) में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित। तार्किक

हमारे निष्कर्ष का परिणाम यह है कि संस्थागत रूप से आरक्षण

भारत का संविधान "। 24. रिलायंस को कुछ टिप्पणियों पर भी रखा गया है

: प्रदीप जैन (ऊपर) इस प्रकार:

" 13. अब हम इस बात पर विचार कर सकते हैं कि परिस्थितियाँ क्या हैं।

जिसमें [2018] 11 एस. सी. आर. के सिद्धांत से प्रस्थान उचित रूप से किया जा सकता है।

चयन योग्यता के आधार पर किया जाता है। जाहिर है, इस तरह के प्रस्थान को केवल समानता-उन्मुख आधारों पर ही उचित ठहराया जा सकता है, क्योंकि मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए चयन का सिद्धांत जो भी हो, उसे समानता की कसौटी को पूरा करना चाहिए। अब संविधान के तहत समानता की अवधारणा एक गतिशील अवधारणा है। यह बराबरी और सुरक्षात्मक भेदभाव की हर प्रक्रिया को अपने दायरे में लेता है। समानता को केवल निष्क्रिय मंत्र नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसे बड़ी संख्या में लोगों के लिए एक जीवित वास्तविकता बनना चाहिए। एक पदानुक्रमित में एक अमिट सामंती छाप और लाइलाज वास्तविक असमानता के साथ समाज, यह सुझाव देना बेतुका है कि सामूहिक अक्षमताओं को खत्म करने और सामूहिक समानता को बढ़ावा देने के लिए प्रगतिशील उपाय हैं

इस आधार पर समानता के विरोधी कि प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है

वास्तविक समानता लाने के लिए, लाभप्रद रूप से रखा गया। इस तरह की सकारात्मक कार्रवाई, हालांकि स्पष्ट रूप से भेदभावपूर्ण है, वास्तविक असमानताओं को समाप्त करके और समुदाय के कमजोर वर्गों को मजबूत और अधिक शक्तिशाली वर्ग के साथ समानता के आधार पर रखते हुए समानता का एक व्यापक आधार बनाने के लिए गणना की जाती है, ताकि समुदाय का प्रत्येक सदस्य, चाहे उसका जन्म व्यवसाय या सामाजिक स्थिति कुछ भी हो, अपने शरीर, चरित्र और बुद्धि के प्राकृतिक दान का पूरी तरह से उपयोग करने का समान अवसर प्राप्त कर सके। हम इस संबंध में उपयोगी रूप से उद्धृत कर सकते हैं जो मैथ्यू, जे. ने अहमदाबाद सेंट जेवियर्स कॉलेज सोसाइटी और ए. एन. आर. में कहा था। वी. गुजरात राज्य [1975] 1 एस. सी. आर. 173।

राजदिप घोष बनाम। असम राज्य और ओ. आर. एस. [अरुण मिश्रा, जे।]

" ..... यह स्पष्ट है कि "कानून में समानता भेदभाव को रोकती है।

किसी भी प्रकार की; जबकि समानता, वास्तव में, आवश्यकता शामिल हो सकती है

एक परिणाम प्राप्त करने के लिए विभेदक उपचार का जो

विभिन्न स्थितियों के बीच एक संतुलन स्थापित करता है "

इसलिए, हमारे पास ऐसी शुष्क समानता नहीं हो सकती है जो उन सामाजिक और आर्थिक अक्षमताओं और असमानताओं को ध्यान में न रखे जिनसे देश में बड़ी संख्या में लोग पीड़ित हैं। कानून में समानता को वास्तविक समानता पैदा करनी चाहिए; न्यायिक समानता को अंततः वास्तविक समानता में अपना कारण खोजना चाहिए। इसलिए राज्य को क्षतिपूर्ति करने के उद्देश्य से राज्य की कार्रवाई का सहारा लेना चाहिए।

वे लोग जो वास्तव में अपनी संपत्ति, शिक्षा या सामाजिक वातावरण में असमान हैं, निर्दिष्ट क्षेत्रों में समान हैं। राज्य को फिर से कृष्ण अय्यर के शब्दों का उपयोग करना चाहिए। जे. जगदीश सरन के मामले में (उपरोक्त) उन विशेष सुविधाओं को समानता के जाल में बुनते हैं, जो एक न्यायसंगत व्यवस्था में कमजोरों के लिए प्रदान करते हैं और उनके स्तर को बढ़ावा देते हैं ताकि, लंबे समय में, बड़े पैमाने पर समुदाय वास्तविक समान अवसर का एक सामान्य उपाय का आनंद ले सके, समानता को नकार या उपेक्षित नहीं किया जाता है जहां विशेष प्रावधान विकलांगों के बड़े लक्षय के लिए तैयार किए जाते हैं।

सामान्य अच्छाई और व्यक्तिगत योग्यता के साथ लगातार। " इसलिए, चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रवेश की योजना योग्यता के आधार पर चयन के सिद्धांत से अलग हो सकती है, जहां वास्तविक समानता लाने के उद्देश्य से ऐसा करना आवश्यक है।

उन लोगों के बीच अवसर जो असमान हैं।

***

***

***

21. लेकिन, फिर राज्य के भीतर निवास की आवश्यकता या विश्वविद्यालय या राज्य द्वारा आयोजित योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों के लिए संस्थागत वरीयता के आधार पर आरक्षण को किस हद तक संवैधानिक रूप से अनुमत माना जा सकता है? इस प्रश्न का स्पष्ट उत्तर देना संभव नहीं है क्योंकि, जैसा कि भारत सरकार के नीतिगत वक्तव्य में बताया गया है, इस तरह के आरक्षण की सीमा उस विशेष क्षेत्र में व्यावसायिक शिक्षा के अवसरों, प्रतिस्पर्धा की सीमा, क्षेत्र के शैक्षिक विकास का स्तर और अन्य प्रासंगिक कारकों सहित कई कारकों पर निर्भर करेगी। ऐसा हो सकता है कि किसी राज्य में शैक्षिक विकास का स्तर बहुत कम है, चिकित्सा विशेषज्ञता में प्रशिक्षण के लिए तुलनात्मक रूप से अपर्याप्त अवसर हैं और बड़े पैमाने पर सामाजिक और आर्थिक (2018) 11 एस. सी. आर. हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

पिछड़ेपन, राज्य के मेडिकल कॉलेजों में अधिक प्रतिशत सीटों के आरक्षण के लिए औचित्य हो सकता है और इतना अधिक प्रतिशत समानता के जनादेश के खिलाफ नहीं हो सकता है। सामाजिक न्याय के परिप्रेक्षय में देखा जाता है "। के संदर्भ में सामाजिक और आर्थिक तथ्यों के आधार पर इतने सारे चर

शैक्षणिक अवसर इस प्रश्न के निर्धारण में प्रवेश करेंगे कि किसी विशेष राज्य के मामले में, राज्य के भीतर निवास की आवश्यकता या संस्थागत वरीयता के आधार पर आरक्षण की सीमा क्या होनी चाहिए। लेकिन, हमारी राय में, प्रत्येक आरक्षण किसी भी स्थिति में वैध रूप से किए गए अन्य प्रकार के आरक्षण को ध्यान में रखते हुए खुली सीटों की कुल संख्या के 70 प्रतिशत की बाहरी सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए। चिकित्सा शिक्षा समीक्षा समिति ने सुझाव दिया है कि बाहरी सीमा 75 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमारा विचार है कि 70 प्रतिशत पर बाहरी सीमा तय करना उचित और उचित होगा। हम आरक्षण की इस बाहरी सीमा को समानता और उत्कृष्टता के परस्पर विरोधी दावों के बीच सामंजस्य स्थापित करने के प्रयास में निर्धारित कर रहे हैं। हम इसे बना सकते हैं

स्पष्ट करें कि हमारे द्वारा निर्धारित यह बाहरी सीमा किसी भी कमी या क्षीणन के अधीन होगी जो भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा की जा सकती है जो चिकित्सा व्यवसायी का वैधानिक निकाय है जिसके कार्यात्मक दायित्वों में चिकित्सा शिक्षा के लिए मानक स्थापित करना और इसके विनियमन और समन्वय का प्रावधान करना शामिल है। हमारी राय है कि वर्षों से हमारे द्वारा निर्धारित इस बाहरी सीमा को धीरे-धीरे कम किया जाना चाहिए, लेकिन यह एक ऐसा कार्य है जिसे भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा किया जाना चाहिए। हम भारतीय को निर्देशित करेंगे। चिकित्सा परिषद आज से नौ महीने की अवधि के भीतर विचार करेगी कि क्या हमारे द्वारा निर्धारित 70 प्रतिशत की बाहरी सीमा को कम करने की आवश्यकता है और यदि भारतीय चिकित्सा परिषद एक छोटी बाहरी सीमा निर्धारित करती है, तो यह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए बाध्यकारी होगी। हम भारतीय चिकित्सा परिषद को यह भी निर्देश देंगे कि इस प्रकार निर्धारित बाहरी सीमा पर हर तीन साल के अंत में पुनर्विचार किया जाए, लेकिन किसी भी स्थिति में बाहरी सीमा 70 से अधिक नहीं होनी चाहिए।

हमारे द्वारा निर्धारित प्रतिशत। परिणाम यह है कि किसी भी स्थिति में कम से कम 30 प्रतिशत खुली सीटें छात्रों के प्रवेश के लिए उपलब्ध होंगी।

अखिल भारतीय आधार पर, चाहे वे किसी भी राज्य या विश्वविद्यालय से आए हों और ऐसे प्रवेश विशुद्ध रूप से अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा के आधार पर योग्यता के आधार पर दिए जाएंगे। या राज्य द्वारा आयोजित होने वाली प्रवेश परीक्षा। बेशक, हमें इसे जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, यहां तक कि जहां निवास आवश्यकता के आधार पर आरक्षण हो, वहां भी राजदिप घोष बनाम।

या निर्देश के अनुसार संस्थागत वरीयता दी जाती है।

इस निर्णय में दिए गए, स्रोत या स्रोतों से स्वीकारोक्ति इस तरह के आरक्षण द्वारा इंगित केवल योग्यता पर आधारित होगा, क्योंकि

उद्देश्य सर्वश्रेष्ठ और सबसे मेधावी छात्र का चयन करना होना चाहिए।

ऐसे स्रोत या स्रोतों के भीतर से।

(जोर दिया गया)

25. निखिल हिम्मथानी बनाम। उत्तराखंड राज्य और अन्य। (2013)

10 एस. सी. सी. 237, स्नातकोत्तर और सुपर स्पेशियलिटी पाठ्यक्रमों में मेडिकल और डेंटल कॉलेजों से संबंधित पेशेवर कॉलेजों में प्रवेश के संबंध में सवाल उठा। यह देखा गया कि योग्यता नहीं हो सकती है

अन्य विचारों के आधार पर आरक्षण देकर समझौता किया गया

जैसे आवासीय आवश्यकता आदि। जगदीश सरन (ऊपर) और प्रदीप जैन (ऊपर) में निर्णयों का उल्लेख किया गया था और यह देखा गया था:

राज्य का कोटा यदि ऐसे उम्मीदवारों ने अपना एमबीबीएस पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है इस न्यायालय के निर्णयों को देखते हुए राज्य के बाहर के कॉलेजों में

डॉ. प्रदीप जैन और ओआरएस में। वी. भारत संघ और ओआरएस। (ऊपर)।

अतः सूचना में पात्रता मानदंड के खंड 2 और 3

बुलेटिन संविधान के अनुच्छेद 14 का भी उल्लंघन करते हैं।
26. उपरोक्त टिप्पणियाँ इस संबंध में की गई हैं -

स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम जिसके संबंध में योग्यता के विभिन्न मानदंडों को लागू किया जाना है। इस प्रकार, निखिल हिम्मथानी (ऊपर) में निर्णय किसी भी तरह से याचिकाकर्ताओं के कारण का समर्थन नहीं करता है।

27. विशाल गोयल और ओआरएस में। वी. कर्नाटक राज्य और अन्य। (2014)

11 एस. सी. सी. 456, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में राज्य कोटे के साथ सीटों के आरक्षण के संबंध में प्रश्न फिर से विचार के लिए आया। यह था।

स्नातकोत्तर स्तर पर आयोजित निवास आवश्यकता के आधार पर आंशिक आरक्षण भी अस्वीकार्य है। अवलोकन को मानदंड बनाया गया है

स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम बुनियादी एम. बी. बी. एस. पाठ्यक्रम के लिए अच्छा नहीं है। मगन मेहरोत्रा बनाम में निर्णय। भारत संघ (2003) 11 एस. सी. सी. 186, डॉ. प्रदीप जैन (ऊपर), सौरभ चौधरी (ऊपर), निखिल

हिम्मथानी (ऊपर) और अन्य निर्णयों पर विचार किया गया है और यह न्यायालय ने स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के संबंध में इस प्रकार टिप्पणी की है:

8] 11 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 11. श्री मारियारपुथम सही हैं कि सौरभ चौधरी बनाम। भारत संघ (ऊपर), इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि संस्थागत वरीयता एक राज्य द्वारा दी जा सकती है, लेकिन सौरभ के उपरोक्त निर्णय में

चौधरी, यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि संस्थागत वरीयता देने के राज्य के निर्णय को न्यायालय द्वारा अमान्य किया जा सकता है यदि यह दिखाया जाता है कि राज्य का निर्णय संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार से परे है। जब हम जाँच करते हैं

कर्नाटक राज्य में संस्थान लेकिन जो पीजीईटी-2014 के लिए सूचना बुलेटिन के खंड 2 के उपखंड (ए) की अन्य आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है। अतः, संस्थागत पी. जी. ई. टी.-2014 के लिए सूचना बुलेटिन के खंड 2.1 के उपखंड (ए) द्वारा दी जाने वाली वरीयता स्पष्ट रूप से इसके विपरीत है -

डॉ. प्रदीप जैन के मामले में इस न्यायालय का निर्णय (ऊपर)।

13. दो सूचना बुलेटिनों के खंड 2 का उपखंड (ए) वास्तव में उन छात्रों को संस्थागत प्राथमिकता नहीं देता है जो

कर्नाटक राज्य के कॉलेजों या विश्वविद्यालयों से एमबीबीएस या बीडीएस उत्तीर्ण किया है, लेकिन उनमें से कुछ को कर्नाटक राज्य में स्नातकोत्तर चिकित्सा या दंत चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा देने के लिए अयोग्य बनाता है, जिसमें सूचना बुलेटिन लागू होते हैं।

28. विशाल गोयल (ऊपर) में उपरोक्त निर्णय का अनुपात

स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम मूल पाठ्यक्रम की ओर आकर्षित नहीं होता है जो कि एम. बी. बी. एस. पाठ्यक्रम है जैसा कि कथन में ही निर्धारित किया गया है। बुनियादी एम. बी. बी. एस. पाठ्यक्रम के लिए पात्रता मानदंड अलग-अलग हो सकते हैं और अधिवास पर आधारित हो सकते हैं लेकिन स्नातकोत्तर और पोस्ट-डॉक्टरेट पाठ्यक्रमों के लिए नहीं।

29. डॉ. कृति लखिना और अन्य। वी. कर्नाटक राज्य और अन्य। WP [C] No. 204/2018 ने 4.4.2018 पर निर्णय लिया, जिस पर याचिकाकर्ताओं ने भरोसा किया। न्यायालय ने स्नातकोत्तर चिकित्सा में प्रवेश के मामले पर विचार किया, न कि एमबीबीएस/बीडीएस पाठ्यक्रम के मामले पर। इस प्रकार, संस्थागत वरीयता के रूप में किए गए प्रावधान को अनुच्छेद 14 के अधिकार क्षेत्र से बाहर माना गया। यह निर्णय बुनियादी एमबीबीएस/बीडीएस/आयुर्वेदिक पाठ्यक्रमों के संबंध में लागू नहीं होता है।

30. ई. वी. चिन्नायाह बनाम ए. पी. और अन्य का राज्य। (2005) 1 एस. सी. सी. 394, न्यायालय ने राजदिप घोष बनाम के आधार पर एक वर्ग के लिए आरक्षण की सीमा के संबंध में विचार किया।

सूक्ष्म भेद। आरक्षण प्रदान करने के लिए अनुसूचित जातियों के उप-वर्गीकरण पर भी विचार किया गया। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि वर्गीकरण चाहे अनुज्ञेय हो या नहीं, पर निर्णय लिया जाना चाहिए प्राप्त करने की मांग की गई वस्तु का टचस्टोन। यह देखा गया:

" 39. किसी कानून में अंकित कानूनी संवैधानिक नीति को भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 की कसौटी का जवाब देना चाहिए। वर्गीकरण की अनुमति है या नहीं, यह उस वस्तु की कसौटी पर आंका जाना चाहिए जिसे प्राप्त करने की इच्छा है। यदि आरक्षण का उद्देश्य सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के पक्ष में सकारात्मक कार्रवाई करना है, तो अपने कार्यकारी या विधायी कार्य का प्रयोग करते समय राज्य का अधिकार क्षेत्र है:

यह तय करना कि उनके लिए लोक सेवा में या शिक्षा में प्रवेश प्राप्त करने के लिए किस हद तक आरक्षण दिया जाना चाहिए।

संस्थाएं। हमारी राय में, ऐसे वर्ग को उप-विभाजित नहीं किया जा सकता है ताकि इसके एक छोटे से अनुपात को अधिक प्राथमिकता दी जा सके।

उसी के अन्य सदस्यों की वरीयता में अनुसूचित जातियाँ

वर्ग "।

31. दीपक सिब्बल बनाम में निर्णय। पंजाब विश्वविद्यालय और अन्र. (1989) 2 एस. सी. सी. 145 को निजी कर्मचारियों के संबंध में तथ्यों पर लागू बोधगम्य अंतर परीक्षण के संबंध में भी सेवा में लगाया गया है। उक्त प्रश्न एल. एल. बी. कक्षाओं में प्रवेश के संबंध में उठा। निजी कर्मचारियों का बहिष्कार किया गया था। दाखिले थे

केवल दो आधारों पर सरकारी, अर्ध-सरकारी और अन्य संस्थानों के कर्मचारियों तक ही सीमित। सबसे पहले, फर्जी उत्पादन के संबंध में निजी नियोक्ताओं से रोजगार प्रमाण पत्र और दूसरा, सरकारी कर्मचारियों को कानूनी शिक्षा प्रदान करना,

सरकार और अन्य संस्थान। न्यायालय ने कहा कि निजी प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों को बाहर करना उचित नहीं है। वर्गीकरण बोधगम्य भिन्नता पर आधारित नहीं था। न्यायालय ने आगे कहा कि गणितीय सटीकता के साथ वर्गीकरण करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि उन व्यक्तियों या चीजों के बीच बहुत कम या कोई अंतर नहीं है जिन्हें एक साथ समूहीकृत किया गया है और जिन्हें समूह से बाहर रखा गया है, तो उस मामले में वर्गीकरण को उचित नहीं कहा जा सकता है। ई. वी. चिन्नैया (उपरोक्त) और दीपक सिब्बल में निर्धारित बोधगम्य अंतर परीक्षण के संबंध में उपरोक्त प्रस्ताव के साथ कोई विवाद नहीं है। (ऊपर)। हालांकि, तत्काल मामले में लागू किया जाने वाला परीक्षण यह है कि क्या किया गया वर्गीकरण उल्लंघनकारी है या तर्कहीन है या समझ में आने योग्य नहीं है।

विभेदक मानदंड।

32. जैसा कि उपरोक्त निर्णयों में कहा गया है, किसी विशेष राज्य में आवासीय/अधिवास संबंधी आवश्यक शैक्षिक आवश्यकताओं को निर्धारित करने की अनुमति है। एम. बी. बी. एस./बी. डी. एस./आयुर्वेदिक के बुनियादी पाठ्यक्रमों के संबंध में राज्य। जिस उद्देश्य को प्राप्त करने की मांग की गई है, वह यह है कि पदधारी को संबंधित राज्य की सेवा करनी चाहिए और किसी विशेष राज्य में रहने वाले लोगों के शैक्षिक मानकों की मुक्ति के लिए, इस न्यायालय द्वारा राज्य के निवासियों के लिए इस तरह के आरक्षण को बरकरार रखा गया है और किसी राज्य में शिक्षा प्राप्त करने की शर्त निर्धारित की गई है। स्नातकोत्तर और पोस्ट-डॉक्टरेट सुपर स्पेशियलिटी पाठ्यक्रम के संबंध में एकमात्र विशिष्टता दी गई है।

33. 2017 के नियमों के नियम 3 (1) (सी) में राज्य में शिक्षा प्राप्त करने की आवश्यकता को निर्धारित किया गया है और शिक्षा प्राप्त करने वालों को छूट दी गई है।

राज्य सरकार के कर्मचारियों या केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बच्चों या असम सरकार या केंद्र सरकार के तहत निगम/एजेंसी/उपकरण के किसी कर्मचारी के लिए, चाहे वह प्रतिनियुक्ति पर हो या नियमित पोस्टिंग पर स्थानांतरण पर, उसके पिता या माँ की अवधि के लिए सातवीं से बारहवीं कक्षा तक शिक्षा प्राप्त करने से राज्य के बाहर काम कर रहे हों। जैसा कि याचिकाकर्ताओं की ओर से अन्य राज्य सरकार के कर्मचारियों लेकिन असम के निवासियों से आग्रह किया गया है, इसी तरह की छूट दी जानी चाहिए थी जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार, उनके बहिष्कार को तर्कहीन और मनमाना नहीं कहा जा सकता है। अरुणाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों जैसे अन्य राज्यों की सेवा में कार्यरत कर्मचारियों के बच्चे, हमारी राय में, एक पूरी तरह से अलग वर्ग बनाते हैं। जब बच्चे बाहर शिक्षा प्राप्त कर रहे हों और माता-पिता अरुणाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारी के रूप में या कहीं और काम कर रहे हों, तो उनके असम राज्य में वापस आने की संभावना नहीं है। जैसा कि असम सरकार का मानना है कि उन्हें राज्य के निवासियों को प्राथमिकता देनी चाहिए/संस्थागत वरीयता को मनमानेपन से पीड़ित दुर्बोध मानदंडों के लिए नहीं कहा जा सकता है

किसी भी तरह से, इस प्रकार, सरकार द्वारा बनाए गए नियम 3 (1) (सी)

असम राज्य एक बोधगम्य भेद पर आधारित है और इसे भेदभावपूर्ण और अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता है।

34. निजी कर्मचारियों के संबंध में भी यह निवेदन किया गया था कि राज्य के बाहर काम करने वाले निजी कर्मचारियों के बच्चे

इसे राज्य सरकार/कंद्र सरकार के कर्मचारियों आदि के बच्चों के समान रखा जाना चाहिए था। हमारी राय में, जब एक बार माता-पिता एक निजी नौकरी में बाहर चले जाते हैं और बच्चे बाहर शिक्षा

प्राप्त करते हैं, तो उनके वापस आने की संभावना नहीं होती है, इस प्रकार, उनके बहिष्करण को तर्कहीन या अवैध नहीं कहा जा सकता है।

35. यह आग्रह किया गया कि कुछ छात्र बेहतर कोचिंग के उद्देश्य से अन्य राज्यों में प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं। याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रासंगिक आंकड़े रिकॉर्ड पर नहीं रखे गए हैं कि असम में कोचिंग उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा, जब वे अन्य राज्यों में कोचिंग प्राप्त करने का खर्च उठा सकते हैं, तो वे एक अलग आधार पर खड़े होते हैं, वे एक ऐसे समृद्ध वर्ग से हैं जो अन्य राज्यों में महंगी शिक्षा का खर्च उठा सकते हैं और यह आवश्यक नहीं है कि उन्हें राज्य कोटा सीट में समायोजित किया जाए, वे असम राज्य के लिए अखिल भारतीय कोटा सीटों के लिए दावा कर सकते हैं। वे असम राज्य के भीतर खुली सीटों के संबंध में अपना दावा कर सकते हैं। बहिष्करण उनके लिए कुल नहीं है। हालाँकि, राज्य-कोटा सीटों के संबंध में, चूंकि यह राज्य सरकार के लिए शैक्षिक के साथ-साथ अधिवास की आवश्यकता को निर्धारित करने के लिए खुला है, इसलिए पदधारियों को मानदंडों को पूरा करना होगा। 2017 के नियमों के नियम 3 (1) (सी) में इस प्रकार निर्धारित मानदंडों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं कहा जा सकता है।

36. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए हम पाते हैं कि रिट

याचिकाएं/एस. एल. पी. सारहीन हैं। 2017 के नियमों का नियम 3 (1) (सी) भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 की भावना के अनुरूप है। रिट याचिकाएँ/एसएलपी खारिज किए जाने के योग्य हैं और इन्हें एतद्द्वारा खारिज कर दिया जाता है। दल अपना खर्च स्वयं उठाएंगे।

अंकित ज्ञान

या

चिकाएं खारिज कर दी गईं।